**पवन हंस लिमिटेड**
**(सरकारी क्षेत्र का उपक्रम)**

# पवन हंस लिमिटेड निगमित सामाजिक दायित्व तथा संवहनीयता नीति

कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 135 तथा अन्य लागू प्रावधानों एवं कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली के साथ निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 27 फरवरी, 2014 की अधिसूचना एवं दिनांक 24 अक्तूबर, 2014 को जारी अनुवर्ती संशोधनों, स्पष्टीकरणों तथा लोक उपक्रम विभाग,भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय के दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं.(13)2013-डीपीई(जीएम) के साथ संरेखित।

विषय सूची


| **अध्याय सं.** | **विवरण** | **पृष्ठ सं.** |
|---|---|---|
| मुख पृष्ठ / विषय सूची पृष्ठ | | 1-2 |
| I | प्रस्तावना | 3-5 |
| II | दृष्टिकोण | 6-7 |
| III | निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वृहद क्रियाकलाप | 8-10 |
| IV | निगमित सामाजिक दायित्व योजना एवं संस्थागत स्थापना | 11-16 |
| V | निगमित सामाजिक दायित्व निगरानी, कार्यान्वयन एवं प्रभाव मूल्यांकन | 17-18 |
| VI | रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण | 19 |
| VII | विविध | 20 |
| परिशिष्ट-I | निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता के स्वरूप के संबंध में भागीदारों से सुझाव प्राप्त करने के लिए पवन हंस लिमिटेड का फार्मेट | 21 |
| अनुलग्नक-I | निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ निगमित सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए जाने का प्रारूप | 22-23 |
| अनुलग्नक-II | कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के प्रावधान | 24-26 |
| अनुलग्नक-III | कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 | 27-34 |
| अनुलग्नक IV | लोक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देश | 35-42 |
| अनुलग्नक-V | निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण | 43-49 |
| अनुलग्नक-VI | राजपत्र अधिसूचना दिनांक 6 अगस्त, 2014 | 50-51 |
| अनुलग्नक-VII | राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24 अक्तूबर, 2014 | 52-53 |
| अनुलग्नक-VIII | निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 12.1.2016 का सामान्य परिपत्रसंख्या 01/2016 | 54-60 |
| अनुलग्नक-IX | निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.5.2016 के सामान्य परिपत्र संख्या 05/2016 के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अंतर्गत निगमित सामाजिक दायित्व के प्रावधानों के संबंध में जारी स्पष्टीकरण | 61-61 |
| अनुलग्नक-X | निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.5.2016 को कम्पनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 में किया गया संशोधन | 62-63 |

## अध्याय - I

## प्रस्तावना

### 1.1 प्राक्कथन

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के खंड 1 के उप-खंड (3) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग से दिनांक 27 फरवरी, 2014 को जारी की गई अधिसूचना के माध्यम से निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2014 के दिन का चयन उस तिथि के रूप में किया है जिस तिथि को अधिनियम का खंड 135 तथा अनुसूची VII लागू होगी। निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.2.2014 की अधिसूचना के माध्यम से कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली,2014 ('नियमावली') जारी की गई है जो 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगी। नियमावली के नियम 3(1) के अनुसरण में पवन हंस लिमिटेड ('कम्पनी) द्वारा अधिनियम के खंड 135 तथा नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है। इसके अलावा, निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक18 जून, 2014 के सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 के माध्यम से संशोधन एवं स्पष्टीकरण तथा दिनांक 6 अगस्त, 2014 एवं 24 अक्तूबर,2014 को अधिसूचना जारी की गई है। इसके अलावा, भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ सं. (13)2013-डीपीई(जीएम) के माध्यम से निगमित सामाजिक दायित्वों एवं संवहनीयता के संबंध में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए पवन हंस लिमिर्टेड की निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता नीति का संरेखन लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिनांक 21 अक्तूर,2014 के माध्यम से निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता के संबंध में जारी दिशानिर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अध्याधीन नियमावली तथा समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार किया जा रहा है।

### 1.2 **निगमित सामाजिक दायित्व नीति विवरण**

निगमित सामाजिक दायित्व ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई संगठन आम बेहतरी के लिए संवहनीय व्यावसायिक प्रक्रियाओं एवं रणनीतियों को अंगीकार करते हुए अपने भागीदारों के प्रति अपने संबंधों की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का विचार करता है। एक उत्तरदायी निगमित सिटिजेन होने के नाते पवन हंस लिमिटेड द्वारा सामाजिक मूल्यों के निर्माण पर अनवरत विचार किया जाता है। पवन हंस लिमिटेड के मिशन की व्याख्या निम्नानुसार है:-

> "**हैलीकॉप्टर प्रचालन के व्यवसाय में बाजार नेतृत्व हासिल करना तथा अतर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप हैलीकॉप्टर पूर्जो / असैम्बिलयों के लिए मरम्मत/ओवरहॉल की सेवाएं प्रदान करना।**"

1.3 **निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता दृष्टिकोण एवं मिशन विवरण :** अपने निगमित मिशन के अनुरूप निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता के दृटिकोण तथा मिशन विवरण की संकल्पना निम्नानुसार की गई है:-

**निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता दृटिकोण तथा मिशन:**

"संवहनीयता के साथ निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाओं के लिए निधियन एवं समर्थन, मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में प्रत्येक के लिए स्वच्छ पेय जल, शौचालयों, स्वास्थ्य, साफ-सफाई, शिक्षा इत्यादि जैसी राष्ट्रीय विकास की कार्यसूची के अंतर्गत अत्यावश्यक आवश्यकताओं की व्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान करते हुए करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों,वृद्धव्यक्तियों, अन्यथा सक्षम व्यक्तियों, बच्चों, युवाओं इत्यादि के सशक्तिकरण के उद्देश्य से लाभग्राहियों का विस्तार करने के लिए ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, जल एवं प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण, मलीन बस्तियों के विकास, स्वच्छता एवं साफ सफाई, आजीविका की उत्पति, भूख / गरीबी के उन्मूलन, कौशल विकास इत्यादि में अपना योगदान देना।"

**2. संवहनीयता**

'संवहनीयता'के संदर्भ में कम्पनी द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों, सामाजिक प्रगति एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति धारणीय एवं संतुलित दृष्टिकोण अंगीकार करने का निश्चय किया गया है तथा तदनुसार स्वयं अपने आप से अपने व्यावसायिक प्रचालन, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम प्रभावित करते हुए करने की प्रतिबद्धता की गई है। अपने इस उद्देश्य के लिए कम्पनी द्वारा ऐसी परियोजनाएं प्रारम्भ की जा सकती हैं तथा / अथवा ऐसे क्रियाकलापों में निवेश किया जा सकता है जिससे इसके व्यावसायिक प्रचालनों के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को न्यून किया जा सके।

2.1 'संवहनीयता' के सुनिश्चय के लिए कम्पनी द्वारा स्वयं से विद्यमान एवं भावी पीढ़ी के भागीदारों के लाभार्थ संवहनीय उद्यम बनने की प्रतिबद्धता की जाएगी तथा अपनी व्यावसायिक रणनीतियों एवं प्रचालनों में एकीकृत उत्तरदायी व्यवहारों के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे।

2.2 पवन हंस लिमिटेड द्वारा प्रत्येक समय सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संवहनीयता के स्वरूप में अपने सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलाप किए जाएंगे तथा पवन हंस लिमिटेड द्वारा अपने व्यवसाय ऐसे स्वरूप में किए जाएंगे जो व्यवसाय एवं समाज, दोनों, के लिए लाभकारी हो तथा संवहनीय प्रयासों के माध्यम से संवहनीयता का विकास किया जाएगा।

2.3 पवन हंस लिमिटेड द्वारा सामाजिक एवं पर्यावरणीय दायित्वों तथा संवहनीय विकास में किसी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी तथा अपनी सामान्य क्रियाओं का निर्वाह भी इसी सुनिश्चय के लिए किया जाएगा। व्यवसाय के लिए नीतिपरक व्यवहारों,पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता में संवर्धन करने वाले राष्ट्रीय एवं वैश्विक संवहनीयता मानकों का उपयोग योजना, कार्यान्वयन, निगरानी संवहनीय कार्यों की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से मार्गदर्शी फ्रेमवर्क के रूप में किया जाएगा।

2.4 संवहनीयता के अपने प्रयासों के अंतर्गत पवन हंस लिमिटेड द्वारा मुख्य धारा के सामान्य क्रियाकलापों के संबंध में पर्यावरणीय संवहनीयता को महत्व देते हुए यह सुनिश्चय किया जाएगा कि इनके आंतरिक प्रचालनों एवं प्रक्रियाओं से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत प्रोत्साहित हो सकें, अपशिष्ट सामग्री को कम किया जा सके/पुन: उपयोग किया जा सके/ पुन:उपयोग योग्य बनाया जा सके, भू जल की प्रतिपूर्ति करना, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित / सुरक्षित / पुन:स्थापित किया जा सके,कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके तथा आपूर्ति श्रृंखला के कायाकल्प में सहायता दी जा सके।

2.5 पवन हंस लिमिटेड द्वारा उत्तरदेयी स्वरूप में कार्य करते हुए उपभोक्ताओं के लिए संरक्षित एवं स्वास्थ्यकर माल का उत्पादन एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी तथा निष्कर्षण के स्तर से उत्पादन, उपयोग/खपत तथा अंतिम निपटान तक के पूर्ण क्रम के लिए पर्यावरणीय, संसाधन कुशल, उपभोक्ता हितैषी एवं पर्यावरण के लिए संवहनीय कच्चे माल का उपयोग किया जाएगा।

2.6 सामान्य व्यवसाय क्रियाकलापों के दौरान संवहनीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए संवहनीय विकाय कार्यों पर व्यय की गई राशि अधिनियम एवं सीएसआर नियमावली में किए गए निर्धारण के अनुसार लाभ का 2% नहीं होगी। इसके अलावा भी पवन हंस लिमिटेड द्वारा संवहनीयता विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रस्तुत करने के लिए संवहनीयता विकास के कार्य अपने सामान्य बजट व्यय में से किए जाते रहेंगे।

2.7 संवहनीयता विकास के कार्यों में कर्मचारी कल्याण के कार्य भी किए जाएंगे जिनमें विशेषत: महिलाएं, शारीरिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणियों की संरक्षा, सुरक्षा, व्यावसायिक संपन्न्ता एवं स्वास्थ्यकर कार्य स्थितियों जैसे उपाय शामिल किए जाएंगे जो विधान में की गई अनिवार्यता से अधिक होंगे। तथापि, ऐसे संवहनीयता प्रयासों पर किए गए व्यय सीएसआर के दायरे में नहीं आएंगे।

2.8 अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध क्रियाओं में से पवन हंस द्वारा सीएसआर क्रियाओं/परियोजनाओं का चयन किए जाने के दौरान ऐसे मुद्दों को वरीयता प्रदान की जाएगी जो राष्ट्रीय विकास की कार्यसूची में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पवन हंस लिमिटेड सीएसआर एवं संवहनीयता नीति में मुख्य ध्यान संवहनीयता विकास एवं विस्तृत प्रगति की ओर ध्यान दिया जाएगा तथा इसमें समाज के वंचित, अधिकारहीन, उपेक्षित एवं कमजोर वर्ग, जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग,अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, वृद्ध एवं अधिक आयु की महिलाएं / कन्या शिशु, शारीरिक रूप से विकलांक व्यक्ति शामिल हैं, की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ध्यान दिया जाएगा।

**स्थानीय क्षेत्र अवधारणा**

पवन हंस लिमिटेड द्वारा सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों का निर्वाह किए जाने के दौरान हैलीकॉप्टरों के प्रचालनों एवं अनुरक्षण के अपने प्रमुख व्यवसाय एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों के एमआरओ व्यवसाय, हैलीपोर्ट/हैलीपैडों के विकास इत्यादि जैसे जारी प्रयासों के साथ सीएसआर एवं संवहनीयता नीति के संरेखण के प्रयास किए जाएंगे। कम्पनी का निगमित कार्यालय (नोएडा), क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, मुम्बई (पश्चिमी क्षेत्र) तथा गुवाहाटी (पूर्वी क्षेत्र) एवं इसके समरूपी बेस (संविदा/समझौता ज्ञापन के साथ दीर्घकालिक/अस्थाई) लगभग पूरे भारत में स्थित हैं। सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों का निर्वाह स्थापित कार्यालयों /बेस में/के आसपास किए जाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा निधियों के एक आनुपातिक /तर्कसंगत भाग का व्यय कम्पनी के पश्चिम,उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्रों में स्थित भौगोलिक स्थलों के लिए भी किया जाएगा। इसके अलावा,पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी रेखा नीचे वाले लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

## अध्याय - II
## दृष्टिकोण

निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता के प्रति कम्पनी का दृष्टिकोण निम्नानुसार रहेगा :

क पवन हंस लिमिटेड द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों / परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रमुख क्षमता तथा संसाधन क्षमताओं को प्रयोग में लाकर एवं सीएसआर तथा संवहनीयता नीति का यथासंभव संरेखन अपनी व्यावसायिक नीतियों तथा रणनीतियों के साथ किया जाएगा तथा ऐसी सीएसआर क्रियाकलापों / परियोजनाओं का चयन किया जाएगा जिनकी निगरानी आंतरिक विशेषज्ञता के साथ बेहतरी से की जा सके।

ख कम्पनी द्वारा अपने कार्मिकों में से सीएसआर क्षमताओं का निर्माण करने के साथ साथ ऐसे संस्थानों , जिनका पिछले तीन वर्ष का वित्तीय ट्रैकिंग रिकार्ड सिद्ध हो, की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सीएसआर क्षमताओं का निर्माण किया जाएगा परन्तु इनके संबंध में किए जाने व्यय, प्रशासनिक ओवरहैड व्यय सहित, किसी एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

ग सीएसआर एवं संवहनीयता की मूल धारणा एवं भाव को समझने एवं आत्मसात करने का प्रयास प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा तथा इसे कम्पनी के प्रमुख मूल्यों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा।

घ पवन हंस लिमिटेड द्वारा अपनी पहुंच एवं इसकी प्रबंध व्यवस्था का विस्तार नेटवर्क की पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला तक करने का प्रयास किया जाएगा जिससे कम्पनी के समान ही निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता के सिद्धांतों एवं मानकों के लिए सभी आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, सेवा प्रदात्ताओं, ग्राहकों तथा साझेदारों की प्रतिबद्धता का सुनिश्चय भी किया जा सके। पवन हंस लिमिटेड द्वारा आपूर्ति श्रृंखला के कायाकल्प को कार्यान्वित करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

ङ सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रयोजनों के लिए तथा क्रियाओं के चयन के उद्देश्य से प्रमुख ध्यान परिणामों से प्राप्त होने वाले वाली आउटपुट की ओर न होकर सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति रहेगा। तदर्थ एवं परोपकारी स्वरूप के क्रियाकलापों का परिवर्जन किया जाएगा।

च असमान क्षेत्रों की ज्ञात सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परियोजनाओं का निर्धारण एवं उनका निर्माण करना तथा पूर्ण प्रतिभागिता एवं प्रतिबद्धता के साथ समयबद्ध स्वरूप में उनका कार्यान्वयन करना ।

छ कम्पनी द्वारा तिहरी आधार रेखा के नाम से ज्ञात आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव पर निगमित निष्पादन मापन के संबंध में उत्तरदायित्वों के निर्वाह किया जाएगा।

ज कम्पनी द्वारा अपने शेयरधारकों के धन के संवर्धन के लिए ऐसी उचित व्यावसायिक प्रक्रियाओं एवं रणनीतियों को उपयोग में लाया जाएगा जिनसे धन की उत्पति एवं वितरण नीतिपरक प्रणालियों एवं संवहनीय प्रबंधन व्यवहारों के कार्यान्वयन तथा एकीकरण के माध्यम से भागीदारों के बाह्य एवं आंतरिक संवर्धन के लिए संभव हो सके।

झ कम्पनी द्वारा प्रत्येक दृष्टिकोण से सीएसआर एवं संवहनीयता के प्रभावों आंतरिक प्रचालनों, क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं तथा उनकी बाह्यता की प्रतिक्रिया से संतुलित करने के संवहनीय प्रयास किए जाएंगे।

ञ कम्पनी द्वारा एक अथवा अधिक पिछड़े जिले के चयनित क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए एक अथवा अधिक प्रमुख परियोजना (परियोजनाओं) के विकास किए जाएंगे जिससे देश के पिछड़े क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास दीर्घकालिक हो सके।

ट इस नीति में क्षमता निर्माण, सामुदायिक सशक्तिकरण , विस्तृत सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रोत्साहन, चयनित क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास तथा समाज के अधिकारहीन एवं वंचित वर्ग के उत्थान की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

ठ कम्पनी द्वारा ऐसे मामलों के लिए सहकार्यता एवं साझेदारी की जाएगी जिनमें अन्य एजेंसियां /संगठनों की प्रतिभागिता हो तथा इसमें सामाजिक एवं सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतोषजनक आपूर्ति करने वाली एजेंसी की भूमिका का निर्वाह किया जाएगा। कम्पनी द्वारा अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति की आवश्यकता के लिए उचित समझे जाने की स्थिति में अंशदान /अनुदान सहायता, ब्याज मुक्त ऋण, संग्रह निधि सहायता तथा साफ्ट ऋण सहायता, वित्तीय अंशदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

## अध्याय III

## निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वृहद क्रियाकलाप

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार)

3.1 कम्पनी द्वारा सामुदायिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रयोजनों से निम्नलिखित स्वरूप की क्रियाओं को करते हुए विस्तृत दृष्टिकोण को अंगीकार करने का प्रयास किया जाएगा तथा परियोजना स्वरूप में जिनका रणनीतिक पद्धति में किया जाने वाला निर्वाह यथासंभव ध्यान केन्द्रण के साथ किया जाएगा।

3.2 तथापि, कम्पनी द्वारा उपलब्ध अनेक विविध विकल्पों में सीएसआर परियोजनाओं का चयन किया जाएगा परन्तु ऐसी क्रियाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जो समाज के कमजोर वर्ग तथा चयनित/ध्यान केन्द्रीत क्षेत्र (क्षेत्रों) में से देश के पिछडे जिले है, तथा पर्यावरणीय संवहनीयता की ओर विशेष ध्यान देकर सामाजिक विकास से जुड़े हुए हैं।

3.3 सीएसआर वर्ग के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयास क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं अवसंरचना विकास पर केन्द्रीत होंगे तथा सामान्यत: ये स्थानीय समुदायों तथा चयनित पिछड़े क्षेत्रों में से अधिकारहीन एवं वंचित वर्ग के कल्याण के लिए होंगे जिससे उनके लिए रोजगार एवं आय उत्पति के साधन तैयार किए जा सकें तथा वे अर्थव्यवस्था की मूल धारा शक्ति एवं समावेशन का अनुभव कर सकें।

3.4 पिछड़े जिले वे हैं जिनका निर्धारण योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा पिछड़े जिला अनुदान निधि (बीआरजीएफ) योजना के लिए किया गया है।

3.5 कमजोर वर्गों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं तथा बच्चे, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, वृद्ध एवं अधिक आयु के व्यक्ति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इत्यादि शामिल होंगे।

3.6 "निगमित सामाजिक योजना (सीएसआर)" के अर्थ में निम्नलिखित शामिल होगा जो निम्नलिखित तक के लिए सीमित नहीं होगा :-

i) अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्रियाओं से संबंधित परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों से सम्बद्ध;अथवा

ii) कम्पनी के निदेशक मंडल ('निदेशक मंडल') द्वारा कम्पनी की घोषित सीएसआर नीति के अंतर्गत निदेशक मंडल की सीएसआर समिति द्वारा की गई अनुशंसा मे से स्वीकृत परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों से संबंधित क्रियाएं

उपर्युक्त के अनुरूप कम्पनी द्वारा सीएसआर परियोजनाएं / कार्यक्रमों का संचलन उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में निर्धारित क्रियाकलापों के अनुरूप किया जाएगा, जो निम्नानुसार होंगे :-

i) भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन जिसमें स्वच्छता के प्रोत्साहन तथा स्वच्छ पेय जल की उपलब्धि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान शामिल होगा;

ii) विशेष शिक्षा तथा रोजगार संवर्धक व्यावहारिक कौशल सहित शिक्षा को प्रोत्साहन जो विशेषत: बच्चों, महिलाओं, अधिक आयु के तथा अन्यथा सक्षम व्यक्तियों एवं जीविका संवर्धन परियोजनाओं से जुड़ी हुई हों।

iii) लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं तथा अनाथों के लिए गृह एवं होस्टलों की स्थापना, वृद्धों के लिए गृह स्थापना, दिन के दौरान देखभाल केन्द्र तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं उपाय जिनसे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछले वर्ग में समानता स्थापित हो सके।

iv) पर्यावरणीय संवहनीयता, पारिस्थिकीय संतुलन, वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वन उद्योग, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता का अनुरक्षण करने के साथ साथ गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा नदी में अंशदान देने का सुनिश्चय करना।

v) राष्ट्रीय धरोहर, कला तथा संस्कृति एवं साथ ही ऐतिहासिक महत्व के भवनों तथा स्थलों एवं कलाकृतियों का संरक्षण, जन पुस्तकालयों की स्थापना, पारम्परिक कला एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहन एवं विकास।

vi) सेवानिवृत्त सशस्त्र सैनिक बलों, युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए उपाय

vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों, पैराओलम्पिक खेलों तथा ओलम्पिक खेलों के प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण ।

viii) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी कोष में अंशदान तथा सामाजिक आर्थिक विकास एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं की सहायता एवं कल्याण के कार्य।

ix) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अकादमिक संस्थानों में स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेरों के लिए अंशदान अथवा निधियन

x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं

xi) झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र विकास

xii) निगमित कार्य मंत्रालय/लोक उपक्रम विभाग / भारत सरकार / अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा किसी अधिनियम / दिशानिर्देश, समय समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत अनुमत्त अन्य कोई क्रियाकलाप

उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के अंतर्गत निर्धारित क्रियाकलापों की व्याख्या

i) किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII से सम्बद्ध होने चाहिए, उक्त अनुसूची VII में की जाने वाली प्रविष्टियों की मुक्त व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि इससे उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के मूल तत्व का संग्रहण किया जा सके।

ii) कम्पनियों द्वारा परियोजना / कार्यक्रम प्रणाली [कम्पनी सीएसआर नियमावली, 2014 के नियम 4(1) में दिए गए संदर्भ के अनुसार] स्वरूप में सीएसआर क्रियाओं का निर्वाह करना चाहिए। मैराथन / अवार्ड / चैरिटेबल अंशदान / विज्ञापन/ टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए प्रायोजन इत्यादि सीएसआर व्यय के दायरे में नहीं आते हैं।

iii) किसी ट्रस्ट / सोसायटी/ खंड 8 कम्पनियां इत्यादि के समूह में किया गया अंशदान सएसआर व्यय माना जाएगा।

परन्तु निम्नलिखित को सीएसआर क्रियाकलापों के दायरे में नहीं माना जाएगा :-

i) कम्पनियों के सामान्य व्यवसाय व्यवहार के अंतर्गत किए गए क्रियाकलाप

ii) ऐसे क्रियाकलाप जो केवल कम्पनी के कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिए लाभकारी हों।

iii) भारत से बाहर किए गए क्रियाकलाप

iv) अधिनियम के खंड 182 के अंतर्गत किसी राजनैतिक पार्टी के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से किया गया किसी भी राशि का अंशदान

**सीएसआर के अंतर्गत प्रतिबंधित क्रियाकलाप**

3.7 कम्पनी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप नहीं किए जाएंगे :-

i) धर्म से संबंधित क्रियाकलाप जैसे मन्दिर / मस्जिद इत्यादि का निर्माण

ii) सामाजिक तारतम्य को प्रभावित करने वाला कोई क्रियाकलाप

## अध्याय IV
## निगमित सामाजिक दायित्व योजना एवं संस्थागत स्थापना

### 4.1 निगमित सामाजिक दायित्व योजना

**4.1.1** कम्पनी द्वारा अपनी सीएसआर कार्यसूची का एकीकरण कम्पनी की दीर्घकालिक व्यवसाय योजना के साथ करने का प्रयास किया जाएगा। दीर्घकालिक सीएसआर योजनाओं का जब भी निर्माण किया जाएगा तो उन्हें मध्य काल एवं अल्प काल की योजनाओं में विभाजित कर दिया जाएगा।

4.1.2 प्रत्येक योजना में प्रत्येक वर्ष किए जाने वाले सीएसआर क्रियाकलाप का विस्तृत वर्णन होगा तथा इसमें ऐसे क्रियाकलापों के मापन योग्य एवं संभावित परिणामों के प्रतिफल तथा सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का भी वर्णन किया जाएगा।

4.1.3 कम्पनी द्वारा सीएसआर परियोजनाओं के अंतर्गत देश के पिछड़े जिलों के दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले कार्य बजट अथवा अन्य अपने अन्य संसाधनों से किसी पिछड़े क्षेत्र/जिले (बीआरजीएफ) में एक अथवा अधिक परियोजनाओं के विकास के लिए देश में चयनित किसी भी स्थल (स्थलों)के क्षेत्र (क्षेत्रों) पर किए जा सकेंगे।

4.1.4 योजना/ कार्यक्रम का निर्धारण तथा निर्माण विशिष्ट क्षेत्रों के निर्धारण के लिए किए गए सर्वेक्षण पर आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत योजना का खाका बनाया जाएगा जिसमें विशिष्ट कार्यक्रमों, कार्यान्वयन के लिए समय फ्रेम तथा बजट की आवश्यकता के अनुसार सूची बनाई जाएगी। संबंधित क्षेत्रों के लिए किसी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी/एनजीओ से सहायता अथवा मार्गदर्शन की अपेक्षा होने की स्थिति में निर्धारण एवं परियोजना कार्यान्वयन के लिए सहायता प्राप्त की जाएगी।

4.1.5 कम्पनी द्वारा बजट प्रावधानों में से वार्षिक योजना का निर्माण किया जाएगा जिसे अनुमोदन के लिए, जैसा भी मामला हो, पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।

4.1.6 इस प्रकार की क्रियाओं में शामिल लक्ष्यबद्ध लाभग्राहियों, स्थानीय प्राधिकरणों, व्यावसायिकों तथा संस्थानों इत्यादि से आवश्यकतानुसार परामर्श प्राप्त किया जाएगा / उन्हें सीएसआर कार्यक्रमों की योजना तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया से सम्बद्ध किया जाएगा।

4.1.7 प्रदान की जाने वाली सेवाओं / लाभों के संबंध में प्रमुख ध्यान, दस्तावेज में उल्लिखित क्रियाकलापों तथा अनुमोदित कार्यक्रम,परियोजना एवं योजनाओं के अनुसार, दिया जाएगा।

4.1.8 सीएसआर के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कुल वार्षिक बजट निर्धारण तथा निदेशक मंडल द्वारा दिए गए अनुमोदन (सीएसआर समिति की अनुशंसा पर) के अनुसार प्रत्येक वर्ष सीएसआर कार्यक्रमों के लिए निश्चित किया जाएगा।

4.1.9 अप्रयुक्त राशि, यदि कोई हुई, कालातीत नहीं होगी तथा किसी वर्ष व्यय न किए जाने की स्थिति में उसे अगले वर्ष के लिए किए जाने वाले उन सीएसआर क्रियाकलापों में संचय तथा व्यय के लिए अग्रेषित किया जाएगा जिनके संबंध में योजनागत कार्यान्वयन पिछले वर्ष के दौरान किन्हीं कारणों से नहीं किया जा सका था।

4.1.10 कम्पनी द्वारा किसी वर्ष के दौरान अप्रयुक्त / बजट के अनुसार व्यय अगले दो वर्षों के दौरान करने के प्रयास किए जाएंगे। यदि किसी मामले में कम्पनी अप्रयुक्त बजट का उपयोग अगले दो वर्षों के दौरान नहीं कर पाती है तो अप्रयुक्त राशि का उपयोग/निर्धारण इस विषय से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देशों / नियमों के अनुसार किया जाएगा।

4.1.11 कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 में संदर्भित किसी निगमित सामाजिक दायित्व के प्रति किसी क्रियाकलाप पर कम्पनी द्वारा किए गए व्यय को कम्पनी द्वारा अपने व्यापार अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से किया गया व्यय नहीं माना जाएगा।

**4.2 वित्तीय घटक**

4.2.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी कम्पनी के औसत सकल लाभ का 2% व्यय निगमित सामाजिक दायित्वों पर किया जाना है। यदि कोई ऐसी राशि का व्यय नहीं कर पाती है तो उस कम्पनी के निदेशक मंडल को खंड 134(3) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट में ऐसी राशि के व्यय न किए जाने के कारण प्रस्तुत करने होंगे।

**"सकल लाभ"** से कम्पनी का सकल लाभ अभिप्रेत होगा जो अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में उल्लिखित है, परन्तु उसमें नामत: निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे :-

(i) कम्पनी की विदेश स्थित किसी शाखा अथवा शाखाओं से उत्पन्न लाभ, जो अपने प्रचालन अलग कम्पनी के रूप में अथवा अन्यथा रूप में कर रही हो; तथा

(ii) भारत में स्थित अन्य कम्पनियों से प्राप्त कोई लाभांश जो अधिनियम के खंड 135 के प्रावधानों में शामिल तथा अनुसरण में प्राप्त किया गया हो:

परन्तुक, यह कि किसी वित्तीय वर्ष, जिसके संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956, (1956 का 1) के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए गए हों, के संबंध में सकल लाभ का पुन: आकलन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

*स्पष्टीकरण :* औसत सकल लाभ का आकलन अधिनियम के खंड 198 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना है।

4.2.2 सीएसआर व्ययों में सीएसआर समिति की अनुशंसा पर निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों से संबंधित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के समूह अंशदान सहित सभी व्यय शामिल किए जाएंगे परन्तु इसमें किसी मद पर किए गए वे व्यय शामिल नहीं होगें जो अधिनियम की अनुसूची VII के दायरे में आने वाले क्रियाकलापों के अनुरूप अथवा संरेखित नहीं हैं।

परन्तुक सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अतिरिक्त धन पवन हंस लिमिटेड के व्यवसाय लाभ का भाग नहीं होगा।

4.3 **संस्थागत स्थापना**

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में संस्थागत स्थापना निम्नानुसार की जाएगी :-

4.3.1 निदेशक मंडल की एक निगमित सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर समिति) का गठन किया जाएगा जिसमें तीन अथवा अधिक निदेशक होंगे तथा जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा जो ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा।

4.3.2 **संचार रणनीति:** संचार रणनीति के एक भाग के रूप में निगम द्वारा कम्पनी में किए जाने वाले सीएसआर क्रियाकलापों एवं संवहनीयता कार्यों के संबंध में अपने प्रमुख भागीदारों के साथ,उनके विचार एवं सुझाव ज्ञात करने के लिए, नियमित वार्ता एवं परामर्श प्राप्त किए जाएंगे। इस उद्देश्य से पवन हंस लिमिटेड द्वारा पवन हंस लिमिटेड की वेबसाइट पर सीएसआर टैब में उपलब्ध ***परिशिष्ट-1*** में संलग्न फार्मेट उपलब्ध करवाया जाएगा जिसका उपयोग किसी भी इच्छुक भागीदार द्वारा सीएसआर एवं निगम के संवहनीयता घटकों के संबंध में अपने सुझाव अथवा विचार व्यक्त करने के लिए किया जा सकेगा। तथापि, सीएसआर क्रियाकलापों के चयन तथा कार्यान्वयन से संबधित अंतिम निर्णय पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा ही लिया जाएगा।

**निगमित सामाजिक दायित्व समिति की भूमिका तथा दायित्व**

- निगमित सामाजिक दायित्व नीति का निर्माण तथा उसके संबंध में निदेशक मंडल को अनुशंसा, जिसमें कम्पनी द्वारा अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के निर्वाह का उल्लेख होगा।
- कम्पनी की सीएसआर नीति की समय समय पर निगरानी
- अनुसूची VII के अनुसार क्रियाकलापों पर किए जाने वाली राशि के व्यय के संबंध में अनुशंसा
- अधिनियम की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / प्रस्तावों के संबंध में अनुशंसा
- कम्पनी द्वारा निर्वाह किए जाने वाले सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों की पारदर्शी निगरानी करने की व्यवस्था स्थापित करना।
- कम्पनी के सीएसआर प्रयासों के संबंध में निदेशक मंडल को रणनीतियां निर्धारण करने में सहायता प्रदान करना।
- सीएसआर क्रियाकलापों के संबंध में नियमावली में दिए गए फार्मेट के अनुसार अन्य उल्लेख के साथ साथ उत्तरदेयता विवरण में सीएसआर के कार्यान्वयन के संबंध में इस उल्लेख को अनुमोदित करना कि इसका कार्यान्वयन कम्पनी के सीएसआर लक्ष्यों तथा नीतियों के अनुपालन के अनुसरण में किया गया है।
- सीएसआर समिति के अध्यक्ष द्वारा वार्षिक रिपोर्ट मे शामिल किए जाने के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सीएसआर क्रियाकलापों की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- निदेशक मंडल को सूचनार्थ,विचारार्थ तथा आवश्यक निदेशों के लिए आवधिक रिपोर्टों की प्रस्तुति; तथा
- निगमित सामाजिक दायित्वों एवं सवंहनीयता के संबंध में समय समय पर संशोधित अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना ।

4.3.3 सीएसआर क्रियाकलापों के चयन तथा कार्यान्वयन के संबंध में अतिम निर्णय पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है तथा उनके द्वारा इससे संबंधित निर्णय पवन हंस

लिमिटेड के हित में संगठनात्मक क्षमता, संसाधन क्षमता तथा कर्मचारियों की प्रमुख क्षमता को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

**<u>निदेशक मंडल की भूमिका तथा उत्तरदायित्व</u>**

- निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति के गठन का सुनिश्चय करना
- निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति की अनुशंसा पर विचार विमर्श के पश्चात कम्पनी के लिए निगमित सामाजिक दायित्व नीति का अनुमोदन प्रदान करना तथा अपनी रिपोर्ट में ऐसी नीति के संक्षेप सार का प्रकटन करना।
- यह सुनिश्चय करना कि सीएसआर नीति में शामिल किए गए क्रियाकलाप अनुसूची VII में शामिल क्रियाकलापों के अनुरूप हैं।
- यह सुनिश्चय करना कि पूर्ववर्ती तीन निकटतम वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी के लाभ के सकल औसत का 2% भाग का कम से कम व्यय किया जाए यदि कम्पनी द्वारा ऐसी राशियों का व्यय नहीं किया जाता है तो निदेशक मंडल द्वारा अपनी रिपोर्ट मे ऐसी राशियों का व्यय न किए जाने के कारण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- अधिनियम के खंड 134(3) के अंतर्गत निगमित सामाजिक दायित्व समिति के गठन की रिपोर्ट निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने का सुनिश्चय करना।
- सीएसआर नीति को कम्पनी की वेबसाइट पर निर्धारित किए गए स्वरूप में प्रदर्शित करने का सुनिश्चय करना।

4.3.4 निदेशक मंडल से न्यूनतम एक स्तर निचले स्तर के अधिकारी का नामांकन सीएसआर के लिए नोडल अधिकारी के कार्य के लिए किया जाएगा। पदनामित नोडल अधिकारी की टीम में समन्वय कार्यों में उसकी सहायता के लिए पदाधिकारी होंगे। पदनामित नोडल अधिकारी सीएसआर के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की प्रगति से संबंधित अपनी रिपोर्ट निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी।

4.3.5 निदेशक मंडल तथा पदनामित नोडल अधिकारी के सहयोगी अधिकारियों की टीम द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व की निगरानी किए जाने के साथ साथ कम्पनी की सीएसआर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने तथा सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की स्क्रीनिंग एवं अनुशंसाओं के लिए दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना की आवश्यक होगी :

क) पहला स्तर (कनिष्ठ) अधिकारियों की समिति जिसमें सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/ संयुक्त महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों द्वारा समय समय पर प्राप्त होने वाले सीएसआर परियोजना प्रस्तावों, जैसा भी मामला हो, की स्क्रीनिंग की जाएगी, तथा

ख) दूसरे स्तर (वरिष्ठ) की समिति महाप्रबंधक / कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारी, जो निदेशक मंडल स्तर के अधिकारी से एक रैंक से अधिक नीचे न हो, की अध्यक्षता में सीएसआर के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अनुशंसा, वित्तीय सहमति उपलब्ध होने की स्थिति में, निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति के सम्मुख करेगी।

**4.4 सीएसआर क्रियाकलापों के निर्वाह की प्रक्रिया विधि**

4.4.1 कम्पनी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों का निर्वाह, सीएसआर नीति के निर्धारण के अनुसार, परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों (नए अथवा प्रगतिशील) के माध्यम से किया जाएगा जिसमें वे क्रियाएं शामिल नहीं होंगी जो व्यवसाय के लिए सामान्य तौर पर आयोजित की जाती हैं।

4.4.2 निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति द्वारा अनुमोदित क्रियाकलापों के निर्वाह के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किसी पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसायटी अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित किसी कम्पनी अथवा अपनी धारण अथवा सहायक अथवा सम्बद्ध कम्पनी अथवा अन्यथा की सेवाएं अधिनियम के खंड 8 के अंतर्गत प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकेगा

बशर्ते यह कि :-

(i) यदि ट्रस्ट, सोसायटी अथवा कम्पनी की स्थापना कम्पनी अथवा इसकी धारण अथवा सहायक अथवा सम्बद्ध कम्पनी द्वारा नहीं की गई है तो उस कम्पनी के संबंध में समान प्रकार के कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं के लिए स्थापित ट्रैक रिकार्ड प्राप्त करना;

(ii) कम्पनी द्वारा इन इकाईयों से परियोजना अथवा कार्यक्रमों का निर्धारण किए जाने की स्थिति में ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग तथा निगरानी एवं रिपोर्टिंग की पद्धति की रूपरेखा निर्धारित की जाए।

उपर्युक्त कार्यों के लिए कम्पनी द्वारा ऐसे पंजीकृत ट्रस्टों, पंजीकृत सोसायटियों को वरीयता दी जा सकती है जो भारतीय निगमित कार्य संस्थान (आईआईसीए)/टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस)/ सरकारी विभागों में पैनलबद्ध हैं तथा ऐसे पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसायटियां जिन्हें सरकारी / अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों में ऐसे क्षेत्रों में प्रचालन का अनुभव है। कम्पनी द्वारा निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति के अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलापों का निर्वाह अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी निकायों के माध्यम से भी किया जा सकता है।

4.4.3 सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत परियोजनाओं अथवा निर्वाह के लिए कम्पनी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों/ वर्ग 8 कम्पनियों के साथ मिलकर इस प्रकार किया जा सकता है कि संबंधित कम्पनियों की सीएसआर समितियां ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के संबंध में नियमों के अनुसार अलग अलग रिपोर्टिंग करने की स्थिति में हो।

4.4.4 कम्पनी के सीएसआर प्रभाग के अधिकारियों को सीएसआर के सेमिनारों/कार्यशालाओं/ परामर्शी बैठकों का अनुभव दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीएसआर के प्रति जागरूकता की उत्पति के लिए कम्पनी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसा अपेक्षित हो, भी आयोजित किए जाने चाहिए।

4.4.5 निदेशक मंडल द्वारा पवन हंस लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सीएसआर नीति के अंतर्गत निधियन के प्रस्ताव अनुमोदित करने, नई योजनाएं तैयार करने/ विद्यमान योजनाएं

संशोधित करने, जब कभी अपेक्षित हो, बजट के प्रमुख वर्गों पर निर्णय लेने तथा सीएसआर प्रयासों के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए कोई भी निर्णय लेने का प्राधिकार दिया जा सकता है। ऐसे प्रस्तावों के विवरण निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति के सम्मुख समीक्षा/ सत्यापन/ अनुमोदन के लिए समय समय पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4.4.6 सामान्यत निगमित सामाजिक दायित्व की क्रियाओं के अंतर्गत सभी क्रियाकलाप कम्पनी द्वारा अन्य एजेंसियों के सहयोग से निष्पादित किए जाते हैं तथा कम्पनी द्वारा ऐसी एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं। चयनित मामलों में निगमित सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों का निषपादन पवन हंस लिमिटेड फाउंडेशन, यदि निर्मित किया गया हो अथवा भविष्य में इसके संस्थापन, द्वारा किया जा सकता है।

4.4.7 विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सीएसआर से निधियन प्राप्त करने के इच्छुक पात्र पंजीकृत ट्रस्ट/ अन्य विशेषज्ञ एजेंसियां अपने प्रत्यय पत्र (विधिक स्थिति एवं समर्थित दस्तावेज,वित्तीय, समान कार्यों के निष्पादन का पूर्व रिकार्ड,सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों/सरकारी निकायों के साथ सम्बद्धता, इत्यादि, यदि कोई हो) तथा परियोजना (परियोजना उद्देश्य, लागू विनियामक अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित परियोजना क्रियाकलाप का विवरण/ स्थल/ संभावित लाभग्राहियों की संख्या, प्रस्तावित स्थल पर परियोजना क्रियाकलाप की आवश्यकता, विस्तृत लागत विवरण, अधिप्राप्ति, क्रियाविधि, संवहनीयता योजना, कार्यान्वयन की विधि, समय सीमा, अपेक्षित रोकड़ प्रवाह पर आधारित लक्ष्य, संभावित प्रतिफल तथा प्रभाव, पवन हंस लिमिटेड के प्रति दृश्यता, बेसलाइन रिपोर्टिंग / आवधिक प्रगति रिपोर्टिंग / प्रतिफल रिपोर्टिंग, प्रस्तावित एमआईएस रिपोर्टिंग फार्मे/बारम्बारता) विवरण के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड को संबोधित अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। पवन हंस लिमिटेड की सीएसआर नीति, विशेष रूप से परियोजना शीर्ष के लिए बजट की उपलब्धि, एजेंसी की परिश्रमशीलता, वित्तीय एवं तकनीकी मूल्यांकन, प्रगतिशील परियोजनाओं के लिए निधि अपेक्षाओं के अनुसरण की शर्त के साथ ऐसी परियोजनाओं के लिए निधियन किया जा सकेगा।

## अध्याय V

## निगमित सामाजिक दायित्व निगरानी, कार्यान्वयन एवं प्रभाव मूल्यांकन

### 5.1 बेस लाइन सर्वेक्षण एवं प्रलेखन

5.1.1 सीएसआर परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व कम्पनी द्वारा बेस लाइन सर्वेक्षण / आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन किया जाना चाहिए। कम्पनी द्वारा आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन के लिए अपने आंतरिक अनुभव एवं संसाधनों के साथ अन्य विधियों का उपयोग भी किया जा सकता है।

5.1.2 कम्पनी द्वारा कार्यान्वयन के परिणाम के लिए वांछित लाभग्राहियों के संबंध में सामाजिक / आर्थिक / पर्यावरणीय प्रभाव के संभावित स्तरों हेतु अपेक्षित इनपुट संसाधनों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से बेसलाइन सर्वेक्षण अपने संसाधनों अथवा किसी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी अथवा किसी मान्यताप्राप्त प्राधिकार युक्त माध्यम स्रोत से करवाया जा सकता है।

5.1.3 सीएसआर प्रयासों से संबंधित प्रलेखन पब्लिक डोमेन अर्थात कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में किया जाना चाहिए।

### 5.2 निगरानी

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्मित नियमावली के अनुसार निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति द्वारा कम्पनी की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की व्यवस्था की पारदर्शी निगरानी स्थापित की जाएगी।

चूंकि कम्पनी द्वारा सीएसआर प्रयासों के लिए चयनित क्षेत्रों / स्थलों पर परियोजना स्वरूप में चयनित विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग से कार्य किए जाते हैं तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर निधियों के वितरण को उपलब्धियों अथवा लक्ष्यों से सम्बद्ध किया जाता है अत: इसके लिए समय समय पर परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति / परियोजना की निगरानी की जानी अत्यावश्यक है जिससे अनुदान निधियों के अनुरूप परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति का सुनिश्चय हो सके। निगरानी की आवश्यकता परियोजना का मूल्यांकन उसकी समय सीमा के दायरे में होने, बजट व्यय तथा भौतिक लक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए भी है। निर्धारित प्रमुख निष्पादन सूचकों के साथ आवधिक रूप से निगरानी की जानी चाहिए; आवधिकता का निर्धारण मुख्यत: निष्पादक सूचकों की प्रकृति के अनुसार किया जाना चाहिए।

कम्पनी द्वारा सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन / निगरानी निदेशक मंडल द्वारा ध्यान में लाई गई एवं अनुमोदित की गई सीएसआर परियोजनाओं की कार्यान्वयन प्रगति /निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए।

**5.3 कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन विधि का प्रभाव**

नीति के अंतर्गत प्रयासों का संज्ञान किए जाने के दौरान कम्पनी द्वारा योजना / परियोजना के निर्धारण / चयन के लिए निम्नलिखित विस्तृत मानदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए:

5.3.1 संज्ञान की गई परियोनाओं के कार्यान्वयन के दौरान समय सीमा तथा लक्ष्यों का निर्धारण पहले ही कर लिया जाना चाहिए।

5.3.2 सीएसआर परियोजनाओं का आधार संवहनीयता विकास के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए।

5.3.3 सीएसआर प्रस्तावों पर अनुमोदन दिए जाने के दौरान उचित स्क्रीनिंग, जांच एवं संतुलन का सुनिश्चय किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सीएसआर प्रस्तावों की स्क्रीनिंग सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए गठित की जाने वाली समितियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर किया जाना चाहिए।

5.3.4 जहां तक संभव हो पवन हंस लिमिटेड को किसी सीएसआर क्रियाकलाप के चयन से पूर्व बेसलाइन/ आवश्यकता मूल्यांकन करवा लेना चाहिए। पवन हंस लिमिटेड द्वारा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सीएसआर क्रियाकलापों / परियोजनाओं से जुड़ी बाह्य एजेंसियों के सहयोग से भी करवाया जा सकता है। ऐसी बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य है जिनके संबंध में पवन हंस लिमिटेड द्वारा परियोजना स्वरूप में किया जाने वाली समग्र कार्यान्वयन लागत सीएसआर निधियन का थ्रेशहोल्ड मूल्य 100 लाख रूपए हो। तथापि, बेसलाइन सर्वेक्षण एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए प्रशासनिक ओवरहैड व्यय सीएसआर नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई सीएसआर व्यय के 5 प्रतिशत की सीमा के दायरे में होने चाहिए।

5.3.5 बाह्य भागीदारों के लिए निर्धारित किए गए सीएसआर क्रियाकलापों का कार्यान्वयन परियोजन स्वरूप में किया जाना चाहिए जिसके लिए निष्पादन के स्तरों का निर्धारण योजनागत प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्व अनुमानित संसाधनों की प्रमात्रा के उपयोग तथा आबंटित बजट एवं निर्धारित समय समय सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इसमें उन पदनामित अधिकारियों / बाह्य विशेषज्ञ एजेंसियों के संबंध में उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए जिन्हें कार्यान्वयन से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं।

5.3.6 कम्पनी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के कार्य अपनी जनशक्ति तथा संसाधनों अथवा बाह्य विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त करके किए जा सकते हैं तथा ऐसी परियोजनाओं का निष्पादन तथा निगरानी आंतरिक जनशक्ति तथा/अथवा बाह्य एजेंसी के माध्यम से की जा सकती है।

5.3.7 कम्पनी द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अपने संसाधनों का उपयोग अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर बेहतर सामाजिक प्रभाव के लिए ऐसी दीर्घकालिक परियोजनाओं पर किया जा सकता है जिसके संबंध में उनके आकार तथा सामाजिक

आर्थिक प्रभाव की प्राप्ति प्रत्येक प्रतिभागी कम्पनी के संसाधनों के इष्टतम उपयोग से बड़े स्तर के सामाजिक प्रभाव के रूप में उत्पन्न हो सके तथा पिछड़े वर्ग सहित विकास की गति में तेजी भी लाई जा सकती हो।

5.3.8 कम्पनी द्वारा स्वयं अपनी जनशक्ति अथवा बाह्य एजेंसी के सहयोग से सीएसआर की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की आवधिक निगरानी की जा सकती है अथवा यह ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन किया जा सकता है कि क्या प्रगति निर्धारित सीमा, बजट व्यय के दायरे में है तथा क्या निर्धारित निष्पादन सूचकों के उपयोग से भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है तथा निर्धारित की जा रही आवधिकता मुख्यत: निष्पादन सूचकों की प्रकृति के अनुरूप है। कम्पनी को निगरानी का सुनिश्चय परियोजना स्वरूप में फीडबैक की व्यवस्था के साथ करना चाहिए तथा जब कभी आवश्यकता हो तो कार्यान्वयन के मध्य स्तर पर अवलंब सहयोग के साधन उपलब्ध होने चाहिए।

## अध्याय VI

## रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण

6.1.1 अप्रैल, 2014 के प्रथम दिन अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ वित्तीय वर्ष से संबंधित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में **अनुलग्नक - 1** में किए गए निर्देशन के अनुसार सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट का समावेश किया जाना चाहिए।

6.1.2 अधिनियम के खंड 134(3) के अंतर्गगत निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रकटन किया जाना चाहिए :

(i) निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन

(ii) विकसित नीति से संबंधित विवरण तथा कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान निष्पादित निगमित सामाजिक दायित्वों के कार्यान्वयन का विवरण

(iii) **अनुलग्नक - 1** के अनुसार अपनी रिपोर्ट में सीएसआर नीति का संक्षेप सार

6.1.3 यदि कम्पनी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों, समय समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्धारित राशि का व्यय नहीं कर पाती है तो खंड 134(3) के अंतर्गत ऐसी राशि का व्यय न किए जाने के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

6.1.4 कम्पनी के निदेशक मंडल के सम्मुख क्रियाकलापों / परियोजनाओं के निर्धारण / कार्यान्वयन की अर्द्ध वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

6.1.5 सीएसआर नीति तथा सीएसआर की रिपोर्ट अनुलग्नक -1 में कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

6.1.6 कम्पनी द्वारा समय समय पर निगमित ब्राउशर का प्रकाशन किया जाना चाहिए जिसमें निष्पादित सीएसआर प्रयासों से संबंधित जानकारी विभिन्न भागीदारों के लिए प्रकाशित की जानी चाहिए।

## अध्याय VII

## विविध

### 7.1 प्रतिपालन एवं अनुसंधान

सफल सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवसाय के लिए अकादमिक इंटरफेस की अनिवार्यता को संज्ञान में लेकर कम्पनी द्वारा टीआईएसएस, आईआईटी, आईआईएम एवं समान प्रकार के अकादमिक संस्थानों के साथ अनवरत आधार पर सहकारिता की जानी चाहिए। सीएसआर क्रियाकलापों के लिए टीआईएसएस, आईआईटी, आईआईएम एवं समान प्रकार के अकादमिक संस्थानों से सेवा प्राप्त करने पर कम्पनी द्वारा किए गए व्यय को बजट शीर्ष के अंतर्गत किए गए व्यय का भाग मानना चाहिए।

### 7.2 विविध

सीएसआर तथा संवहनीयता के संबंध में पवन हंस लिमिटेड की नीति के अनुसार सितम्बर, 2010 से प्रभावी परियोजनाएं / क्रियाकलाप, जो चाहे योजनागत हो अथवा कार्यान्वयन के किसी स्तर पर हों, पूर्ण किए जाने तक स्वीकृति के लिए मान्य होंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों में समय समय पर प्रभावी किए जाने वाले किसी प्रकार के संशोधन के परिणामस्वरूप ये दिशानिर्देश / नीति भी संशोधित मानी जाएगी।

उपर्युक्त में कोई व्यवस्था होते हुए भी पवन हंस लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को आवश्यकतानुसार मूल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथवा किसी अन्य कारण से कोई भी कार्रवाई सहित किसी प्रावधान / उपर्युक्त प्रक्रिया से छूट प्रदान करने अथवा संशोधित करने/ एजेंसी/परियोजना के चयन बेसलाइन/आवश्यकता मूल्यांकन के स्वरूप,कार्यान्वयन की निगरानी,मूल्यांकन एवं प्रभाव मूल्याकन इत्यादि के संबंध में अन्य कोई शर्त जोड़ने, कार्य क्षेत्र में संशोधन करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।

**परिशिष्ट - I**

**पवन हंस लिमिटेड**

**निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता के स्वरूप के संबंध में भागीदारों से सुझाव प्राप्त करने के लिए पवन हंस लिमिटेड का फार्मेट**

1. भागीदार का नाम
   (नाम, पदनाम तथा वैयक्तिक लाभग्राही /लाभग्राहियों से भिन्न होने की स्थिति में संगठन का नाम)
2. पता
3. सम्पर्क विवरण : फोन तथा मोबाइल नम्बर
4. भागीदार का वर्ग -सरकारी/गैर सरकारी संगठन/ लाभग्राही/अन्य कोई भागीदार (स्पष्ट करें)
5. पवन हंस लिमिटेड की सीएसआर तथा संवहनीयता से संबंधित व्यवहार जिसके संबंध में सुझाव दिया गया है
6. सुझाव

तिथि :
स्थान :

(हस्ताक्षर)*

*वैयक्तिक लाभग्राही / लाभग्राहियों से भिन्न होने के मामले में मोहर के साथ

**अनुलग्नक - I**

**निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ निगमित सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए जाने का प्रारूप**

**1.** कम्पनी की सीएसआर नीति संक्षिप्त प्रतिफल जिसमें किए जाने वाले प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण तथा सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के संदर्भ में वेब लिंक दिया गया हो।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी का औसत सकल लाभ

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद संख्या 3 की दो प्रतिशत राशि)

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण

   (क) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि

   (ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो

   (ग) जिस विधि से राशि का व्यय किया गया है उसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | सीआरआर परियोजना अथवा निर्धारित क्रियाकलाप | परियोजना किस सेक्टर से संबंधित है | परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) उस राज्य तथा जिले का विवरण जहां परियोनाओं अथवा कार्यक्रमों का निष्पादन किया गया | राशि प्रतिफल (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार | परियोजना अथवा कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि **उप शीर्ष:** 1. परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवरहैड | रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय | राशि का व्यय प्रत्यक्ष किया गया अथवा कार्यान्वन एजेंसी के माध्यम से* |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | योग | | | | | | |

* कार्यान्वयन एजेंसी का विवरण दें :

6. यदि कम्पनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के सकल लाभ की औसत का दो प्रतिशत अथवा उसके किसी भाग का व्यय नहीं कर पाती है तो कम्पनी को अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ऐसे व्यय न किए जाने के कारणों का उल्लेख करना होगा।

7. निदेशक मंडल की सीएसआर समिति का यह उत्तरदायी विवरण कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन तथा निगरानी कम्पनी के सीएसआर लक्ष्यों एवं नीति के अनुसरण में की गई है।

| | | |
|---|---|---|
| हस्ताक्षर/- | हस्ताक्षर/- | हस्ताक्षर/- |
| (मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक | (अध्यक्ष, निदेशक मंडल की सीएसआर समिति) | अधिनियम के खंड 380 के उप खंड (1) के उप वाक्य (डी) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति (जैसा भी लागू हो) |

**अनुलग्नक - II**

**कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के प्रावधान**

**135. निगमित सामाजिक दायित्व**

(1) प्रत्येक कम्पनी, जिसकी सकल सम्पति पांच हजार करोड़ रूपए अथवा टर्नओवर एक हजार करोड़ रूपए अथवा अधिक अथवा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच करोड़ रूपए अथवा अधिक सकल लाभ है, से निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है जिसमें तीन अथवा अधिक निदेशक हों तथा जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक हो।

(2) निदेशक मंडल द्वारा खंड 134 के उप खंड (3) के अंतर्गत दी जाने वाली रिपोर्ट मे निगमित सामाजिक दायित्व समिति के गठन का प्रकटन किया जाएगा।

(3) निगमित सामाजिक दायित्व समिति से यह अपेक्षित होगा कि -

(क) निगमित सामाजिक दायित्व नीति का निर्धारण तथा उसमें कम्पनी द्वारा अनुसूची VII में किए गए उल्लेखानुसार किए वाले क्रियाकलापों का उल्लेख करके उसकी अनुशंसा निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत करे।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित क्रियाकलापों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की अनुशंसा करे ; तथा

(ग) कम्पनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति की समय समय पर निगरानी करे।

(3) ऊपर उप खंड (1) में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रत्येक कम्पनी के निदेशक मंडल से यह अपेक्षा होगी कि वह -

(क) निगमित सामाजिक दायित्व समिति की अनुशंसाओं को विचार में लेकर कम्पनी के लिए निगमित सामाजिक दायित्व नीति का अनुमोदन प्रदान करे तथा ऐसी नीति के सार संक्षेप का प्रकटन अपनी रिपोर्ट में करे तथा इसे कम्पनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर किए गए निर्धारण के स्वरूप में प्रदर्शित भी करे।

(ख) यह सुनिश्चय करे कि निगमित सामाजिक दायित्व नीति में शामिल किए गए क्रियाकलापों का निष्पादन कम्पनी द्वारा किया गया है।

(5) ऊपर उप खंड (1) में उल्लिखित प्रत्येक कम्पनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चय करे कि कम्पनी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती तीन वर्षों के सकल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय निगमित सामाजिक दायित्व नीति के अनुसरण में किया गया है;

बशर्ते यह कि कम्पनी द्वारा स्थानीय क्षेत्रों तथा अपने प्रचालन के आस पास के क्षेत्रों को निगमित सामाजिक दायित्व के क्रियाकलापों के व्यय के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाती है;

बशर्ते यह भी कि यदि कम्पनी ऐसी राशि का व्यय नहीं कर पाती है तो खंड 134 के उप खंड (3) के उप वाक्य (ओ) के अंतर्गत दी जाने वाली में ऐसी राशियों का व्यय न कर पाने के कारणों का उल्लेख करे।

व्याख्या - इस खंड के उद्देश्य से 'औसत सकल' का आकलन खंड 198 के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाना है।

ENCLOSURE-III

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935

No. 95] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

**सा.का.नि. 129(अ).**—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 है ।

(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है ;

(ख) "उपाबंध" से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है ;

(ग) "कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)" से निम्नलिखित अभिप्रेत और शामिल हैं किंतु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:-

(i) अधिनियम की अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों से संबंधित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम; अथवा

(ii) कंपनी की घोषित कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड) द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलापों से

संबंधित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम बशर्ते कि ऐसी नीति में अधिनियम की अनुसूची 7 में उल्लिखित विषय सम्मिलित हों।

(घ) "सीएसआर समिति" से अधिनियम की धारा 135 में निर्दिष्ट बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "सीएसआर नीति" कंपनी के कारबार के सामान्य प्रचालन के अनुसरण में किए गए कार्यकलापों को छोड़कर, अनुसूची 7 में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा किए गए कार्यकलाप और उस पर किए गए व्यय से संबंधित है;

(च) "शुद्ध लाभ" से अधिनियम के लागू उपबंधों के अनुसरण में तैयार किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार किसी कंपनी के शुद्ध लाभ अभिप्रेत है किंतु इनमें निम्नलिखित शामिल नहीं है अर्थात् :-

(i) कंपनी की विदेश स्थित किसी शाखा अथवा शाखाओं, चाहे वह अलग कंपनी के रूप में अथवा अन्यथा कार्यरत है, से प्राप्त कोई लाभ, तथा

(ii) भारत में अन्य कंपनियों जो अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत शामिल हैं अथवा इसके अनुबंधों का अनुपालन करती हैं, से प्राप्त कोई लाभांश:

परंतु किसी वित्तीय वर्ष, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसरण में सुसंगत वित्तीय विवरण तैयार किए गए थे, के संबंध में 'शुद्ध लाभ' की पुनः गणना अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित नहीं होगी।

परंतु यह और कि इन नियमों के अधीन आने वाली विदेशी कंपनी के मामले में शुद्ध लाभ से अधिनियम की धारा 198 के साथ पठित धारा 381 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अनुसार तैयार लाभ-हानि खाते के अनुरूप ऐसी कंपनी का शुद्ध लाभ अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3 कारपोरेट सामाजिक दायित्व :

(1) प्रत्येक कंपनी अपनी होल्डिंग अथवा अनुषंगी सहित तथा अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के अंतर्गत परिभाषित कोई विदेशी कंपनी जिसका शाखा कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय भारत में है और जो अधिनियम की धारा 135 और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगी ;

परंतु अधिनियम के अंतर्गत किसी विदेशी कंपनी का शुद्ध मूल्य, व्यापारावर्त अथवा शुद्ध लाभ की गणना अधिनियम की धारा 381 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 198 के उपबंधों के अनुसरण में तैयार किए गए उस कंपनी के तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण के अनुसार की जाएगी ।

(2) प्रत्येक कंपनी जो क्रमवर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कंपनी नहीं रहती है, उससे निम्नलिखित अपेक्षित नहीं होगा ;

(क) सीएस आर समिति का गठन करना ;

(ख) उक्त धारा की उप धारा (2) से उप धारा (5) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करना ;

जब तक कि वह कंपनी धारा 135 की उप धारा (1) में निहित मानकों को पूरा नहीं करती ।

**4. सीएसआर कार्यकलाप:**

(1) कंपनी को अपनी कथित कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार अपने व्यवसाय के सामान्य कार्य के अनुसरण में किए गए कार्यों को छोड़कर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों (नए अथवा चल रहे) के रूप में अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप करने होंगे।

(2) कंपनी का बोर्ड कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति द्वारा अनुमोदित अपने सीएसआर कार्यकलाप किसी रजिस्ट्रीकृत न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसायटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के अधीन कंपनी द्वारा स्थापित किसी कंपनी अथवा उसकी होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के माध्यम से अथवा अन्य किसी तरीके से चला सकता है:

परंतु कि –

(i) यदि ऐसा न्यास, सोसाइटी अथवा कंपनी की स्थापना उस कंपनी अथवा उसकी होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी द्वारा नहीं की गई हो तो इसके पास समान कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं चलाने का तीन वर्षों का प्रमाणित अभिलेख होना चाहिए;

(ii) कंपनी ने इन अस्तित्वों के माध्यम से चलाई जाने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों, ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर धन राशि के उपयोग की कार्य-प्रणाली और निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र विनिर्दिष्ट किया हो।

(3) कोई कंपनी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों को इस प्रकार चलाने के लिए अन्य कंपनियों के साथ भी सहयोग इस रीति में कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर अलग-अलग रिपोर्ट देने की स्थिति में हों।

(4) अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन, भारत में चलाई गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम अथवा कार्यकलाप ही कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय की कोटि में आएंगे।

(5) अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, उन कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं अथवा कार्यक्रम अथवा कार्यकलापों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप नहीं माना जाएगा जिनसे कंपनी के कर्मचारी अथवा उनके कुटुम्बों को ही फायदा हो।

(6) कंपनियां कम से कम तीन वित्तीय वर्षों में कार्य स्थापित अभिलेख वाली संस्थाओं के माध्यम से अपने कार्मिकों के साथ-साथ अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के कर्मचारियों की कारपोरेट सामाजिक दायित्व क्षमताएं बना सकती है किंतु ऐसा व्यय एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(7) अधिनियम की धारा 182 के अधीन किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी राशि के अंशदान पर सीएसआर कार्यकलाप के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

**5. सीएसआर समितियां :**

(1) नियम 3 में उल्लिखित कंपनियां निम्नानुसार सीएसआर समिति गठित करेंगी:

(i) धारा 135 की उपधारा (1) के अंतर्गत शामिल कोई असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी अथवा प्राइवेट कंपनी जिसके लिए अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (4) के अनुसरण में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करना अपेक्षित नहीं है, की ऐसे निदेशक के बिना अपनी सीएसआर समिति होगी;

(ii) उप नियम (1) में उल्लिखित कोई प्राइवेट कंपनी, जिसके बोर्ड में केवल दो निदेशक हों ऐसे दो निदेशकों के साथ अपनी सीएसआर समिति का गठन करेगी;

(iii) इन नियमों के अंतर्गत शामिल किसी विदेशी कंपनी के बारे में सीएसआर समिति में कम से कम दो व्यक्ति शामिल होंगे जिनमें से एक व्यक्ति अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा और दूसरा व्यक्ति विदेशी कंपनी द्वारा नामनिर्देशित होगा।

(2) सीएसआर समिति कंपनी द्वारा शुरू की जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र संस्थित करेगी।

6. सीएसआर नीति :

(1) कंपनी की सीएसआर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी, अर्थात :-

(क) अधिनियम की अनुसूची 7 के क्षेत्र के भीतर आने वाले उन कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं या कार्यक्रमों, जिन्हें कंपनी शुरू करने की योजना बनाती है, की एक सूची तैयार करना, ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की रूपरेखा निर्धारित करना तथा उनकी कार्यान्वयन अनुसूचियां; तथा

(ख) ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया:

परंतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों में कंपनी के कारबार के सामान्य कार्य के अनुसरण में किए गए कार्यकलाप शामिल नहीं होंगे।

परंतु यह और कि निदेशक बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति में शामिल कार्यकलाप अधिनियम की अनुसूची 7 में शामिल कार्यकलापों से संबद्ध हैं।

(2) कंपनी की सीएसआर नीति विनिर्दिष्ट करेगी कि सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों से उद्भूत आधिक्य राशि कंपनी के कारबार लाभ का हिस्सा नहीं होगी।

7. सीएसआर व्यय : कोष में बोर्ड द्वारा अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश पर अनुमोदित सीएसआर कार्यकलापों संबंधी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर अंशदान सहित समस्त व्यय सम्मिलित होगा किंतु इसमें किसी ऐसी मद पर किया जाने वाला व्यय शामिल नहीं होगा जो अधिनियम की अनुसूची-7 के कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्यकलापों से संगत अथवा आधार पर न हो।

8. सीएसआर रिपोरिर्ट्ंग

(1) इन नियमों के अधीन होने वाली कंपनी की अप्रैल 1, को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष की बोर्ड रिपोर्ट में संलग्नक में निर्दिष्ट ब्यौरों को शामिल करते हुए सीएसआर संबंधी एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी।

(2) किसी विदेशी कंपनी के मामले में, धारा 381 की उपधारा 1 के उपखंड ख के अंतर्गत फाइल किए गए तुलन पत्र में सीएसआर संबंधी रिपोर्ट का एक संलग्नक अंतर्विष्ट होगा।

**9. सीएसआर कार्यकलापों का अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शन:**

कंपनी का निदेशक बोर्ड सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् कंपनी के लिए सीएसआर नीति अनुमोदित करेगा और ऐसी नीति की विषयवस्तु अपनी रिपोर्ट में प्रकट करेगा तथा उपाबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार इसे कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो तो, पर प्रदर्शित किया जाएगा।

[फा. सं. 1/18/2013- सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

उपाबंध

**बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. कंपनी की सीएआर नीति की संक्षिप्त रूप-रेखा, जिसमें शुरू करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों/ परियोजनाओं का ब्यौरा और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वैब-लिंक का संदर्भ शामिल हो।
2. सीएसआर समिति की संरचना।
3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।
4. विहित सीएसआर व्यय में (ऊपर मद 3 में दी राशि का दो प्रतिशत राशि)
5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के ब्यौरे:
   (क) वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकम:
   (ख) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकम:
   (ग) वह रीति जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई रकम के व्यय का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित दिया गया है :

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. स. | अभिज्ञात सीएसआर परियोजना/ कार्यकलाप | वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है | परियोजनाएं कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) (उस जिले/ राज्य का नाम जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाया गया) | परिव्यय रकम (बजट) परियोजना/ कार्यक्रम) | परियोजना/ कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उप:शीर्ष : (1)परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय, (2) उपरिव्यय | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय | खर्च की गई रकम: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयनकारी अभिकरण* के माध्यम से |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| | योग | | | | | | |

*कार्यान्वयनकारी अभिकरण के ब्यौरे दें -

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% या उसका कोई भाग खर्च करने में असफल रही है तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में रकम खर्च न करने के कारण बताएगी।

892 GI/14-2

7. सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व परक-कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।

| हस्ताक्षर<br>(मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक) | हस्ताक्षर<br>(अध्यक्ष, सीएसआर समिति) | हस्ताक्षर<br>अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्ति<br>( जहां लागू हो) |
|---|---|---|

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2014

**G.S.R. 129(E).**— In exercise of the powers conferred under section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Companies Act, 2013;

(b) "Annexure" means the Annexure appended to these rules;

(c) "Corporate Social Responsibility (CSR)" means and includes but is not limited to :-

(i) Projects or programs relating to activities specified in Schedule VII to the Act; or

(ii) Projects or programs relating to activities undertaken by the board of directors of a company (Board) in pursuance of recommendations of the CSR Committee of the Board as per declared CSR Policy of the company subject to the condition that such policy will cover subjects enumerated in Schedule VII of the Act.

(d) "CSR Committee" means the Corporate Social Responsibility Committee of the Board referred to in section 135 of the Act.

(e) "CSR Policy" relates to the activities to be undertaken by the company as specified in Schedule VII to the Act and the expenditure thereon, excluding activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company;

(f) "Net profit" means the net profit of a company as per its financial statement prepared in accordance with the applicable provisions of the Act, but shall not include the following, namely :-

(i) any profit arising from any overseas branch or branches of the company, whether operated as a separate company or otherwise; and

(ii) any dividend received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of section 135 of the Act:

Provided that net profit in respect of a financial year for which the relevant financial statements were prepared in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, (1 of 1956) shall not be required to be re-calculated in accordance with the provisions of the Act:

Provided further that in case of a foreign company covered under these rules, net profit means the net profit of such company as per profit and loss account prepared in terms of clause (a) of sub-section (1) of section 381 read with section 198 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Corporate Social Responsibility. -**

(1) Every company including its holding or subsidiary, and a foreign company defined under clause (42) of section 2 of the Act having its branch office or project office in India, which fulfills the criteria specified in sub-section (1) of section 135 of the Act shall comply with the provisions of section 135 of the Act and these rules:

Provided that net worth, turnover or net profit of a foreign company of the Act shall be computed in accordance with balance sheet and profit and loss account of such company prepared in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 381 and section 198 of the Act.

(2) Every company which ceases to be a company covered under sub-section (1) of section 135 of the Act for three consecutive financial years shall not be required to -

(a) constitute a CSR Committee; and

(b) comply with the provisions contained in sub-section (2) to (5) of the said section,

till such time it meets the criteria specified in sub-section (1) of section 135.

**4. CSR Activities.-**

(1) The CSR activities shall be undertaken by the company, as per its stated CSR Policy, as projects or programs or activities (either new or ongoing), excluding activities undertaken in pursuance of its normal course of business.

(2) The Board of a company may decide to undertake its CSR activities approved by the CSR Committee, through a registered trust or a registered society or a company established by the company or its holding or subsidiary or associate company under section 8 of the Act or otherwise:

Provided that—

(i) if such trust, society or company is not established by the company or its holding or subsidiary or associate company, it shall have an established track record of three years in undertaking similar programs or projects;

(ii) the company has specified the project or programs to be undertaken through these entities, the modalities of utilization of funds on such projects and programs and the monitoring and reporting mechanism.

(3) A company may also collaborate with other companies for undertaking projects or programs or CSR activities in such a manner that the CSR Committees of respective companies are in a position to report separately on such projects or programs in accordance with these rules.

(4) Subject to provisions of sub-section (5) of section 135 of the Act, the CSR projects or programs or activities undertaken in India only shall amount to CSR Expenditure.

(5) The CSR projects or programs or activities that benefit only the employees of the company and their families shall not be considered as CSR activities in accordance with section 135 of the Act.

892 GI/14-3

(6) Companies may build CSR capacities of their own personnel as well as those of their Implementing agencies through Institutions with established track records of at least three financial years but such expenditure shall not exceed five percent. of total CSR expenditure of the company in one financial year.

(7) Contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Act, shall not be considered as CSR activity.

**5. CSR Committees.-**

(1) The companies mentioned in the rule 3 shall constitute CSR Committee as under.-

(i) an unlisted public company or a private company covered under sub-section (1) of section 135 which is not required to appoint an independent director pursuant to sub-section (4) of section 149 of the Act, shall have its CSR Committee without such director ;

(ii) a private company having only two directors on its Board shall constitute its CSR Committee with two such directors;

(iii) with respect to a foreign company covered under these rules, the CSR Committee shall comprise of at least two persons of which one person shall be as specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act and another person shall be nominated by the foreign company.

(2) The CSR Committee shall institute a transparent monitoring mechanism for implementation of the CSR projects or programs or activities undertaken by the company.

**6. CSR Policy.-**

(1) The CSR Policy of the company shall, inter-alia, include the following, namely :-

(a) a list of CSR projects or programs which a company plans to undertake falling within the purview of the Schedule VII of the Act, specifying modalities of execution of such project or programs and implementation schedules for the same; and

(b) monitoring process of such projects or programs:

Provided that the CSR activities does not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company.

Provided further that the Board of Directors shall ensure that activities included by a company in its Corporate Social Responsibility Policy are related to the activities included in Schedule VII of the Act.

(2) The CSR Policy of the company shall specify that the surplus arising out of the CSR projects or programs or activities shall not form part of the business profit of a company.

**7. CSR Expenditure.-** CSR expenditure shall include all expenditure including contribution to corpus, for projects or programs relating to CSR activities approved by the Board on the recommendation of its CSR Committee, but does not include any expenditure on an item not in conformity or not in line with activities which fall within the purview of Schedule VII of the Act.

**8. CSR Reporting.-**

(1) The Board's Report of a company covered under these rules pertaining to a financial year commencing on or after the 1st day of April, 2014 shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure.

(2) In case of a foreign company, the balance sheet filed under sub-clause (b) of sub-section (1) of section 381 shall contain an Annexure regarding report on CSR.

**9. Display of CSR activities on its website. -**

The Board of Directors of the company shall, after taking into account the recommendations of CSR Committee, approve the CSR Policy for the company and disclose contents of such policy in its report and the same shall be displayed on the company's website, if any, as per the particulars specified in the Annexure.

[F. No. 1/18/2013-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

**ANNEXURE**

## FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT

1. A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.
2. The Composition of the CSR Committee.
3. Average net profit of the company for last three financial years
4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent. of the amount as in item 3 above)
5. Details of CSR spent during the financial year.
   (a) Total amount to be spent for the financial year;
   (b) Amount unspent , if any;
   (c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.No | CSR project or activity identified. | Sector in which the Project is covered. | Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken. | Amount outlay (budget) project or programs wise | Amount spent on the projects or programs **Sub-heads:** (1) Direct expenditure on projects or programs. (2) Overheads: | Cumul-ative expend-iture upto to the report-ing period. | Amount spent: Direct or through implementing agency |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | |

*Give details of implementing agency:

6. In case the company has failed to spend the two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report.
7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.

| Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|
| (Chief Executive Officer or Managing Director or Director) | (Chairman CSR Committee) | [Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act] (wherever applicable) |

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

P: 34

**फ.सं.15(13)/2;13-डीपीई(जीएम)**
**भारत सरकार**
**भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय**
**(लोक उपक्रम विभाग)**
*******

**लोक उपक्रम भवन,**
**ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स,**
**लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003**
**दिनांक 21 अक्तूबर, 2014**

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता के अनुपालन के लिए दिशानिर्देश**

अधोहस्ताक्षरी को इस पत्र के साथ 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता के अनुपालन के दिशानिर्देश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। ये दिशानिर्देश निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता के संबंध में दिनांक 12 अप्रैल 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15(7)/2012-डीपीई (जीएम)-जीएल-104 के अतिक्रमण में जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर नियमावली (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत) के अनुपूरक हैं तथा इन्हें उनके परामर्श से जारी किया जा रहा है।

2. इन दिशानिर्देशों के संबंध में मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम) से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा ये 1.4.2014 से प्रभावी होंगे।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों से यह अनुरोध है कि वे ये दिशानिर्देश अपने संबंधित न्यायाधिकार में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जानकारी में आवश्यक कार्रवाई के लिए लाएं।

संलग्न : यथोक्त

(उमेश डोंगरे)
निदेशक
टेलीफैक्स : 24363066

सेवा मं,

केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से संबद्ध सभी प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के सचिव

प्रतिलिपि : प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मुख्य कार्यपालक

# केन्द्रीय सरकार

# के

# सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा

# अनुपालन के लिए

# निगमित सामाजिक दायित्व

# दिशानिर्देश

**1.4.2014 से प्रभावी**

**लोक उपक्रम विभाग**

1.0. पृष्ठभूमि

1.1. भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 का प्रतिपादन अगस्त, 2013 में किया गया था। कम्पनी अधिनियम, 2013 का खंड 135 (एतद्द्वारा अधिनियम के नाम से संदर्भित) निगमित सामाजिक दायित्व के विषय से संबंधित है। इसमें सकल सम्पति, टर्नओवर तथा सकल लाभ के मापदंड के आधार पर कम्पनियों से अपेक्षित सीएसआर क्रियाकलापों का विवरण दिया गया है तथा साथ ही साथ कम्पनियों के निदेशक मंडल द्वारा चयन, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए विस्तृत विधियां बताई गई हैं। कम्पनियों की सीएसआर नीति में जिन क्रियाकलापों का समावेश किया जाना है उनकी सूची अधिनियम की अनुसूची VII में दी गई है। अधिनियम के खंड 135 के प्रावधान तथा अनुसूची VII सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी कम्पनियों पर लागू होते हैं।

1.2. निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अतंगर्त सीएसआर नियमावली (एतद्द्वारा सीएसआर नियमावली के नाम से संदर्भित) का निर्माण किया गया है तथा इसे दिनांक 27.2.2014 को जारी किया गया है। सीएसआर नियम 1.4.2014 से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी कम्पनियों पर लागू होते हैं।

1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों से अधिनियम के प्रावधानों तथा सीएसआर नियमावली का अनुपालन किए जाने की अपेक्षा की गई है। निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा सीएसआर नियमावली अथवा अधिनियम की अनुसूची VII में अधिसूचित किसी भी प्रकार के संशोधन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बाध्यकारी होंगे।

1.4 सीएसआर नियमावली की अधिसूचना जारी होने से पूर्व लोक उपक्रम विभाग द्वारा सीएसआर एवं संवहनीयता के संबंध में दिसम्बर, 2012 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 1.4.2013 से लागू थे। लोक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों में सीएसआर तथा संवहनीयता विकास को अनुपूरक उपचार दिए जाने की व्यवस्था की गई थी तथा तदनुसार इसके संबंध में साथ साथ कार्रवाई की अपेक्षा थी। सीएसआर को संवहनीयता से अधिक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क का घटक माना गया था । लोक उपक्रम विभाग के विद्यमान दिशानिर्देशों में भी सीएसआर तथा संवहनीयता की मंशा अनुपूरक स्वरूप में की गई थी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह परामर्श दिया गया था कि वे सीएसआर कार्यसूची का अनुपालन करते हुए अपने व्यवसाय के संव्यवहार में संवहनीय विकास के वृहद उद्देश्य की अनदेखी न करें।

**2.1. <u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सीएसआर एवं संवहनीयता के संबंध में लोक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देश</u>**

2.2. अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों, अनुसूची VI तथा सीएसआर नियमावली का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तथापि, अधिनियम में किए गए सीएसआर प्रावधान तथा सीएसआर नियमावली के आलवा लोक उपक्रम विभाग द्वारा सीएसआर एवं संवहनीयता के संबंध में दिशानिर्देश निर्मित किए गए हैं (एतद्द्वारा 'दिशानिर्देश' के नाम से संदर्भित) जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लागू हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये दिशानिर्देश न तो अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा अनुसूची VII अथवा सीएसआर नियमावली के अतिक्रमण में जारी किए गए हैं और न ही ये इनका स्थान लेने के लिए हैं अपितु ये अनुपूरक हैं। ये दिशानिर्देश पहल अथवा उन प्रयासों के स्वरूप में जिसकी प्रत्याशा प्रत्याशा भागीदारों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपने निगमित सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए की जाती है। ऐसी किसी संभाव्य स्थिति की संकल्पना नहीं की गई है जहां सीएसआर नियमावली तथा दिशानिर्देशों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सीएसआर नियमावली तथा दिशानिर्देशों के मध्य किसी कथित स्थिति में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रत्येक स्थिति में सीएसआर नियमावली को ही वरीयता दी जाएगी।

2.2 लोक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के शीर्षक में संवहनीयता शब्द का उपयोग सीएसआर के संयोजन के साथ किया गया है क्योंकि अधिनियम तथा सीएसआर नियमावली में जिन सीएसआर क्रियाकलापों की संकल्पना की गई है उसकी न्यूनता की पूर्ति संवहनीय प्रयासों से ही की जा सकती है क्योंकि दोनों का उद्देश्य संवहनीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति करना है। दिशानिर्देशों में सीएसआर नियमावली के अनिवार्य अनुपालन के साथ संवहनीय प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। दिशानिर्देशों में संवहनीयता के लिए वह संरचनात्मक खंड उपलब्ध करवाए जाने का लक्ष्य किया गया है जिसमें सीएसआर पूरी तरह से अंत:स्थापित है। तदनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे सीएसआर नियमावली तथा दिशानिर्देशों को एक साथ पढ़े जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि दिशानिर्देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उनके भागीदार क्या अपेक्षाएं रखते हैं।

2.3 अधिनियम में सभी कम्पनियों के लिए सीएसआर नीति का निर्माण अनिवार्य किया गया है तथा सीएसआर नीति में जिस सूचना का समावेश किया जाना है उसका वर्णन सीएसआर नियमावली में किया गया है। इस संबंध में अधिनियम के प्रावधानों तथा सीएसआर नियमावली के प्रति किसी प्रकार की अनदेखी नहीं की जा सकती है। तथापि, सीएसआर नीति दस्तावेज है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इसमें दूरदर्शिता तथा मिशन विवरण का समावेश कर लेना चाहिए कि वे किस प्रकार इनका अनुपालन दिशानिर्देश के साथ करना चाहते हैं। संवहनीयता के जिन वृहद कार्यों पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्य करना चाहते हैं उनका उल्लेख भी उन्हें उसी में मिलेगा। चूंकि सीएसआर तथा संवहनीयता की प्रकृति अनुपूरक है तथा दोनों का उल्लेख नीति दस्तावेज में किया जाना है अत: यह सुझाव है कि इसे 'सीएसआर एवं संवहनीयता नीति' के संदर्भ में उपयोग में लाया जाए। नीति दस्तावेज के नाम विवरण में बदलाव लाने तथा इसमें दी गई सूचना का विस्तार करने से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीएसआर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कम नहीं होगी अथवा उसका सार संक्षेप प्रभावित नहीं होगा। अपितु, इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यह इच्छा जाहिर होगी वे स्वयं सामाजिक,आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का निवारण कुछ ऐसे अतिरिक्त करते हुए करना चाहते हैं जो सीएसआर के उस अधिकार क्षेत्र से बढ़कर है जिसकी संकल्पना अधिनियम तथा सीएसआर नियमावली में की गई है परन्तु जिसके विविध आयामों के कारण संवहनीयता विकास के प्रोत्साहन के लिए उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा सका है।

2.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लागू नीचे प्रस्तुत दिशानिर्देश सामान्यत: मार्गदर्शी सिद्धांतों के स्वरूप में हैं। इन दिशानिर्देशों में कुछ अतिरिक्त अपेक्षाएं की गई हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :-

i) अधिनियम के प्रावधानों तथा सीएसआर नियमावली के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए सीएसआर क्रियाकलापों की अनिवार्यता की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपक्रम जो थ्रेशहोल्ड पर आधारित निवल सम्पति, टर्नओवर अथवा अधिनियम के खंड 135(1) में वर्णित सकल लाभ के आधार पर पात्रता के मानदंडों में नहीं आते हैं परन्तु जिन्होंने पिछले वर्ष लाभ अर्जित किया है, उनसे भी यह अपेक्षित होगा कि वे अधिनियम तथा सीएसआर नियमावली में वर्णित सीएसआर क्रियाकलापों का निर्वाह करें तथा इस प्रकार ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से यह अपेक्षित किया गया है कि वे पिछले वर्ष कमाए गए लाभ की कम से कम 2% राशि का व्यय सीएसआर क्रियाकलापों के लिए करें।

ii) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनी कम्पनी के लिए विशिष्ट सीएसआर एवं संवहनीयता को अंगीकार करना चाहिए। सीएसआर एवं संवहनीयता की दार्शनिकता एवं मूल भाव का समावेश नीति में निश्चित रूप से किया जाना चाहिए तथा यह अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम की अनुसूची VII, सीएसआर नियमावली, दिशानिर्देश तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले नीति निदेशों के अनुसरण में होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सीएसआर एवं संवहनीयता नीति का उपयोग अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर क्रियाकलापों की योजना तैयार करने के लिए संदर्भ दस्तावेज तथा कार्रवाई योग्य योजनाओं के निर्माण के रेखाचित्र के रूप में किया जाना चाहिए।

iii) यदि सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम वर्ष के दौरान किसी प्रकार के ऐसे नए सीएसआर क्रियाकलाप / परियोजनाओं का निष्पादन करना चाहता है, जो कम्पनी की सीएसआर नीति में पहले से ही शामिल किए गए सीएसआर क्रियाकलापों के अलावा है, तो निदेशक मंडल द्वारा ऐसे अतिरिक्त सीएसआर क्रियाकलाप के दिया जाने वाला नीति में किया गया संशोधन माना जाएगा।

iv) अनुबंध के खंड 135(1) में निर्धारित मानदंडों के दायरे में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए अपने तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्ष में अर्जित सकल लाभ की 2% राशि का व्यय अधिनियम तथा सीएसआर नियमावली के अनुसरण में निर्धारित सीएसआर क्रियाकलापों पर किए जाने की अनिवार्यता की गई है। औसत सकल लाभ के निर्धारित प्रतिशत का व्यय प्रत्येक वर्ष अधिनियम तथा सीएसआर नीति में निर्धारित विधि से किया जाना है। यदि कोई कम्पनी ऐसी राशि का व्यय नहीं कर पाती है तो उसे ऐसे व्यय न किए जाने के कारण प्रस्तुत करने होंगे। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मामले में किसी विशेष के दौरान ऐसे व्यय न कर पाने के कारण प्रस्तुत करने अथवा स्पष्टीकरण देना ही पर्याप्त नहीं होगा तथा किसी वर्ष विशेष के दौरान व्यय न की गई सीएसआर राशि कालातीत नहीं होगी अपितु इसे अगले वर्ष के लिए उस उद्देश्य हेतु उपयोग में लाने के लिए अग्रेषित किया जाएगा जिस उद्देश्य के लिए इसका आबंटन किया गया था।

v) अधिनियम की अनुसूची VII के अंतर्गत सीएसआर क्रियाकलापों/ परियोजनाओं का चयन करते समय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसे मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो राष्ट्रीय विकास कार्यसूची के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं जैसे कि प्रत्येक के लिए स्वच्छ पेय जल, विशेषत: कन्याओं के लिए शौचालयों के प्रावधान, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई, शिक्षा इत्यादि। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सीएसआर एवं संवहनीयता नीति में प्रमुख स्थान वहनीय विकास एवं समाहित प्रगति की ओर दिया जाना चाहिए तथा इसके

माध्यम से वंचित, अधिकारहीन, उपेक्षित एवं समाज के कमजोर वर्ग जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, वृद्ध एवं अधिक आयु के लोग, महिलाएं / कन्या शिशु, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इत्यादि शामिल हैं।

vi) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों यन के लिए परियोजनाओं के कार्यान्व / अपनी प्रमुख क्षमता तथा संसाधन क्षमताओं को प्रयोग में लाकर एवं सीएसआर तथा संवहनीयता नीति का वसायिक नीतियों तथा रणनीतियों के साथ किया जाएगा तथा ऐसी सीएसआरयथासंभव संरेखन अपनी व्या क्रियाकलापों परियोजनाओं का चयन किया जाएगा जिनकी निगरानी आंतरिक विशेषज्ञता के साथ बेहतरी से / की जा सके।

vii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से यह आशा की गई है कि वे प्रत्येक समय सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संवहनीयता के स्वरूप में अपने सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलाप करें। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अपने व्यवसाय व्यवहार ऐसे स्वरूप में किए जाएं जो व्यवसाय एवं समाज, दोनों, के लिए लाभकारी हो तथा जिनसे संवहनीय प्रयासों के माध्यम से संवहनीयता का विकास हो सके। उन्हें यह परामर्श है कि वे सामाजिक एवं पर्यावरणीय दायित्वों तथा संवहनीय विकास में किसी प्रकार की चूक न करें तथा अपनी सामान्य क्रियाओं का निर्वाह भी इस सुनिश्चय के साथ करें। व्यवसाय के लिए नीतिपरक व्यवहारों,पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता में संवर्धन करने वाले राष्ट्रीय एवं वैश्विक संवहनीयता मानकों का उपयोग योजना, कार्यान्वयन, निगरानी संवहनीय कार्यों की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से मार्गदर्शी फ्रेमवर्क के रूप में किया जाना चाहिए। परन्तु सामान्य व्यवसाय क्रियाकलापों के दौरान संवहनीयता विकास के अनुसरण में संवहनीयता क्रियाओं पर व्यय की गई राशि अधिनियम तथा सीएसआर नियमावली में किए गए निर्धारण के अनुसार सीएसआर पर लाभ के 2 प्रतिशत भाग के रूप में व्यय की गई राशि के दायरे में नहीं आएगी।

viii) संवहनीयता के अपने प्रयासों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपनी मुख्य धारा के सामान्य क्रियाकलापों के संबंध में पर्यावरणीय संवहनीयता को महत्व देते हुए यह आशा की गई है कि वे अपने आंतरिक प्रचालनों एवं प्रक्रियाओं से ऐसे प्रयास करें कि उससे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत प्रोत्साहित हो सकें, अपशिष्ट सामग्री को कम किया जा सके बनाया जा सकेउपयोग योग्य:पुन /उपयोग किया जा सके :पुन/, भू जल की प्रतिपूर्ति करना, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित पित किया जा सकेस्था:पुन / सुरक्षित /,कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके तथा आपूर्ति श्रृंखला के कायाकल्प में सहायता दी जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उत्तरदेयी स्वरूप में कार्य करते हुए उपभोक्ताओं के लिए संरक्षित एवं स्वास्थ्यकर माल का उत्पादन एवं सेवाएं प्रदान तथा निष्कर्षण के स्तर से उत्पादन, उपयोगखपत तथा अंतिम निपटान तक के पू/र्ण क्रम के लिए पर्यावरणीय, संसाधन कुशल, उपभोक्ता हितैषी एवं पर्यावरण के लिए संवहनीय कच्चे माल का उपयोग करने की अपेक्षा की गई है। तथापि, ऐसे संवहनीयता प्रयास सीएसआर नियमावली के अंतर्गत सीएसआर क्रियाकलापों के दायरे में नहीं आएंगे तथा इनके संबंध में किया गया व्यय सीएसआर पर किया गया व्यय नही माना जाएगा। ऐसा होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने सामान्य बजट व्यय में से ऐसे संवहनीयता व्यय करने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से संवहनीयता के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सिद्ध होती है।

ix) संवहनीयता प्रयासों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए उपायों में वे उपाय भी शामिल हैं जो कर्मचारियों के कल्याण ,विशेषत महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग,अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध में उनकी संरक्षा,सुरक्षा, व्यावसायिक संवर्धन तथा स्वास्थ्यकर कार्य स्थितियों से संबंधित वे उपाय भी शामिल होंगे जो विधि

के अनुसार अनुमत्त हैं । तथापि, ऐसे संव्यवहार्यता प्रयास सीएसआर व्ययों के दायरे में नहीं आते हैं।

x) सीएसआर एवं संवहनीयता की मूल धारणा एवं भाव को समझने एवं आत्मसात करने का प्रयास प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा तथा इसे कम्पनी के प्रमुख मूल्यों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा।

xi) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनी पहुंच एवं इसकी प्रबंध व्यवस्था का विस्तार नेटवर्क की पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला तक करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कम्पनी के समान ही निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता के सिद्धांतों एवं मानकों के लिए सभी आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, सेवा प्रदात्ताओं, ग्राहकों तथा साझेदारों की प्रतिबद्धता का सुनिश्चय भी किया जा सके। पवन हंस लिमिटेड द्वारा आपूर्ति श्रृंखला के कायाकल्प को कार्यान्वित करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

xii) अधिनियम में किए गए उल्लेख के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सीएसआर क्रियाकलापों के लिए स्थल का चयन करते समय 'स्थानीय क्षेत्र' को वरीयता देने की अपेक्षा की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल से यह वांछनीय है कि वे अपने वाणिज्यिक प्रचालनों को ध्यान में रखकर अपनी वाणिज्यिक यूनिटों / संयंत्रों / परियोजनाओं तथा अपने प्रचालनों से समाज एवं पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव तथा अपने प्रमुख भागीदारों,विशेषत: वे कम्पनी के वाणिज्यिक प्रचालनों / क्रियाकलापों से सीधे जुड़े हुए हैं, पर होने वाले विस्तार के अनुसार 'स्थानीय क्षेत्र' को परिभाषित करें । 'स्थानीय क्षेत्र' की परिभाषा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सीएसआर नीति का भाग बन सकती है।

xiii) स्थानीय क्षेत्र को अपेक्षित वरीयता देने के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा देश में कहीं भी सीएसआर क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का निदेशक मंडल सूचक अनुपात के आधार पर स्थानीय क्षेत्र अथवा उसके बाहर व्यय के लिए निर्धारण कर सकेगा तथा इससे संबंधित उल्लेख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सीएसआर नीति में भी किया जा सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जो अपने कार्य स्वरूप के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र मे नहीं करते हैं वे अपने सीएसआर क्रियाकलाप / परियोजनाओं का निष्पादन देश के किसी भी चयनित क्षेत्र में कर सकते हैं।

xiv) जहां तक संभव हो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निगमित सामाजिक दायित्वों का निष्पादन ऐसी परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए जिसकी योजना का निर्धारण आबंटित बजट के दायरे में अपेक्षित संसाधनों की प्रमात्रा के पूर्व अनुमान लगाते हुए तथा अपेक्षित प्रतिफल के संबंध में निश्चित समय सीमा का निर्धारण करके उसके प्रारम्भिक स्तर से लेकर विभिन्न स्तरों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए किया जाए।

xv) संचार रणनीति के एक भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कम्पनी में किए जाने वाले सीएसआर क्रियाकलापों एवं संवहनीयता कार्यों के संबंध में अपने प्रमुख भागीदारों के साथ,उनके विचार एवं सुझाव ज्ञात करने के लिए, नियमित वार्ता एवं परामर्श प्राप्त किए जाने चाहिए। तथापि, सीएसआर क्रियाकलापों के चयन तथा कार्यान्वयन से संबधित अंतिम निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निदेशक मंडल द्वारा ही लिया जाना चाहिए।

xvi) सीएसआर नियमावली के अंतर्गत सभी कम्पनियों से अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट शामिल की जानी अपेक्षित की गई है। सीएसआर नियमावली में उपलब्ध करवाए गए सीएसआर क्रियाकलापों के टैम्पलेट / प्रारूप का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में की गई कार्रवाईयों का

संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे भागीदारों को न केवल सीएसआर क्रियाकलापों से संबंधित जानकारी ही प्राप्त हो सकेगी अपितु वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संवहनीयता के संबंध में किए गए कार्यों की जानकारी भी उन्हें मिल सकेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से वार्षिक संवहनीयता रिपोर्ट भी तैयार किए जाने की अपेक्षा की गई है जो कम्पनी की ब्रांड इमेज में सुधार के अलावा वृहद पारदर्शिता की प्रस्तुति एवं कम्पनी के प्रचालनों की उत्तरदेयता का प्रत्यक्ष प्रमाण होगी।

xvii) जहां तक संभव हो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी सीएसआर क्रियाकलाप के चयन से पूर्व बेसलाइन कन करवा लेना चाहिए।कता मूल्यांआवश्य /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सीएसआर क्रियाकलापों परियोजनाओं से जुड़ी बाह्य एजेंसियों के सहयोग से भी करवाया जा सकता है। ऐसी बड़ी / योजनाओं के लपरिि्ए प्रभाव मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य है जिनके संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा परियोजना स्वरूप में किया जाने वाली समग्र कार्यान्वयन लागत सीएसआर निधियन का थ्रेशहोल्ड मूल्य पर किया जा सकता है। तथापि, बेसलाइन सर्वेक्षण एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए प्रशासनिक ओवरहैड व्यय सीएसआर नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई सीएसआर व्यय के प्रतिशत की सीमा के दायरे में होने 5 चाहिए।

xxiii) अधिनियम, अधिनियम की अनुसूची VII, तथा सीएसआर नियमावली के दायरे में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने सीएसआर क्रियाकलाप / परियोजनाएं वृहद सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय के उद्देश्य से उनके सीएसआर क्रियाकलापों / परियोजनाओं के साथ संयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

xxiv) लोक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान प्रारम्भ की गई सीएसआर परियोजनाओं, जो 1अप्रैल, 2013 से प्रभावी थी, उनके पूरा होने तक जारी रखा जा सकता है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए सभी नए क्रियाकलाप / परियोजनाएं सीएसआर नियमावली के अनुसार निष्पादित की जानी है।

xxv) सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपक्रम, जो सांविधिक निगम है, उन्हें अधिनियम, सीएसआर नियमावली के प्रावधानों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

xxvi) ये दिशानिदेश सीएसआर एवं संवहनीयता के विषय पर लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी सभी पूर्व दिशानिर्देशों के अतिक्रमण में जारी किए गए हैं।

.....

**सं.05/01/2014- सीएसआर**
भारत सरकार

निगमित कार्य मंत्रालय

सामान्य परिपत्र सं. **21/2014**

5वां तल, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, डा.रा.प्र. मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001
दिनांक: 18 जून, 2014

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निदेशक,

सभी कम्पनी पंजीयक,

सभी भागीदार

**विषय : - कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अतर्गत निगमित सामाजिक दायित्व के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

इस मंत्रालय में कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 (एतद्द्वारा 'अधिनियम' के नाम से संदर्भित) तथा कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत किए जाने वाले क्रियाकलापों के अनेक भागीदारों से पत्र प्राप्त हुए हैं। निगमित सामाजिक दायित्वों (एतद्द्वारा 'सीएसआर' के नाम से संदर्भित) से संबंधित अपेक्षित स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं :-

(i) सांविधिक प्रावधान तथा सीएसआर नियमावली, 2014 के प्रावधान सीएसआर नीति के अंर्तगत की जाने वाली क्रियाओं की अनिवार्य सम्बद्धता कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार किए जाने के सुनिश्चय के लिए है, उक्त अनुसूची VII में की जाने वाली प्रविष्टियों की मुक्त व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि इससे उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के मूल तत्व का संग्रहण किया जा सके। अधिनियम की संशोधित अनुसूची

VII में सूचीबद्ध मदें व्यापकता पर आधारित हैं तथा ये अनुलग्नक में की गई व्याख्या के अनुसार वृहद क्रियाओं शामिल किए जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं।

(ii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनियों द्वारा परियोजना / कार्यक्रम प्रणाली [कम्पनी सीएसआर नियमावली, 2014 के नियम 4(1) में दिए गए संदर्भ के अनुसार] स्वरूप में सीएसआर क्रियाओं का निर्वाह करना चाहिए। मैराथन / अवार्ड / चैरिटेबल अंशदान / विज्ञापन/ टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए प्रायोजन इत्यादि सीएसआर व्यय के दायरे में नहीं आते हैं।

(iii) कम्पनियों द्वारा किसी अधिनियम / कानून के विनियमों (जैसे कि श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम इत्यादि) कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले सीएसआर व्यय के दायरे में नहीं आते हैं।

(iv) कम्पनियों द्वारा कम्पनी के स्वयंसेवकों सहित नियमित सीएसआर कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन (विशेष रूप से सीएसआर के लिए व्यय किए गए समय/घंटे के अनुपात में) सीएसआर व्यय के भाग के रूप में सीएसआर परियोजना लागत का भाग हो सकता है।

(v) कम्पनी सीएसआर नियमावली, 2014 के साथ पठनीय अधिनियम के खंड 135 का उप खंड (1) में संदर्भित "किसी वित्तीय वर्ष" के अर्थ में तीन पूर्व वित्तीय वर्ष शामिल हैं।

(vi) भारत में सीएसआर क्रियाओं के लिए किसी विदेशी धारण कम्पनी द्वारा किए गए व्यय भारतीय सहायक कम्पनी द्वारा किए गए व्यय माने जाएंगे बशर्ते ऐसे व्यय भारतीय सहायक कम्पनियों के माध्यम से किए गए हों तथा यदि अधिनियम के खंड 135 के अंतर्गत भारतीय सहायक कम्पनी से ऐसा किया जाना अपेक्षित किया गया हो।

(vii) 'पंजीकृत ट्रस्ट' (सीएसआर नियमावली, 2014 के नियम 4(2) में दिए गए संदर्भ के अनुसार) में आय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत वे ट्रस्ट भी शामिल होंगें जो ऐसे राज्य में हैं जहां ट्रस्ट का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य नहीं है।

(viii) किसी ट्रस्ट / सोसायटी/ खंड 8 कम्पनियां इत्यादि के समूह में किया गया अंशदान (क) ट्रस्ट /सोसायटी/ खंड 8 कम्पनी इतयादि का निर्माण केवल सीआरआर क्रियाओं के लिए जाने

अथवा (ख) जहां समूह का निर्माण केवल अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल विषयों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध विषयों के निर्वाह के लिए किया गया है, सीआरएस क्रियाओं के लिए किया गया व्यय माना जाएगा।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

हस्ताक्षर/-

**(सीमा रथ)**
**सहायक निदेशक (सीएसआर)**
**फोन नम्बर 23389622**

**प्रतिलिपि:**

1. सचिव के पीएसओ
2. अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव
3. डीजी (।।सीए) के निजी सचिव/सं.स.(एम)सं.स.(बी)/सं.स.(एसपी)/डी।। (यूसीएन)/ईए/डी।। (नीति)
4. निदेशक (एके)/निदेशक (एबी)/निदेशक (एनसी)/निदेशक (पीएस)
5. निगमित कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ई-शासन कक्ष

## दिनांक 18.6.2014 के सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 के पैरा (i) में संदर्भित अनुलग्नक

| क्र.सं. | अनुसूची **VII** में शामिल किए जाने के लिए अनुरोध की गई अतिरिक्त मदें अथवा अधिनियम की अनुसूची **VII** में पहले से ही शामिल मदों के संबंध में स्पष्टीकरण | क्या अधिनियम की अनुसूची **VII** में शामिल हैं। |
|---|---|---|
| **1.** | सीएसआर के माध्यम से सड़क संरक्षा को प्रोत्साहन:<br>(क) शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहन, "जनसाधारण को सड़क उपयोग से संबंधित सभी खंडों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा देना"<br>**(ख)** ड्राइवर प्रशिक्षण ,<br>**(ग)** प्रवर्तन कर्मियों को प्रशिक्षण,<br>**(घ)** यातायात संरक्षा इंजीनियरिंग तथा प्रिंट, ऑडियो एवं विजुअल मीडिया के माध्यम से जागरूकता को शामिल किया जाना चाहिए।<br>(ii) सामाजिक व्यवसाय परियोजनाएं :<br>"सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को चिकित्सा एवं विधि सहायता, उपचार प्रदान किया जाना शामिल किया जाना चाहिए। | **(क)** "शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहन" के अंतर्गत अनुसूची VII (ii)<br>**(ख)** ड्राइवरों को प्रशिक्षण इत्यादि के लिए "व्यावसायिक कौशल" के अंतर्गत अनुसूची VII (ii)<br>**(ग)** ये सरकारी स्थापना के कार्यकलाप हैं (इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता)<br>**(घ)** "शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहन" के अंतर्गत अनुसूची VII (ii)<br>(ii) अनुसूची VII(i) 'स्वास्थ सेवा प्रोत्साहन में निवारक स्वास्थ्य सेवाएं' शामिल हैं। |
| **2.** | अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए सहायक सामग्री एवं उपकरणों के प्रावधान - शामिल किए जाने का अनुरोध | अनुसूची VII(i) 'स्वास्थ सेवा प्रोत्साहन में निवारक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल किया जाना |
| **3.** | कम्पनी नासिक में एआरटीआईआईसी (व्यावसायिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं नवोपाय केन्द्र) की स्थापना पर विचार करे। केन्द्र द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत मुख्यत ग्रामीण खेतीहर समुदाय के कल्याणार्थ निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाएगा:-<br>**(क)** किसानों के लिए उत्तम वहनीय खेती प्रबंधन व्यवहारों से युक्त क्षमता निर्माण उपाय<br>**(ख)** कृषि श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण<br>(ग) खेतों में लागत एवं कृषि परिस्थितियों के अनुकूल सतत कृषि व्यवहारों की खोज के | "शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहन" तथा "व्यावसायिक कौशल" एवं "ग्रामीण विकास" शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची VII की मद संख्या (ii)<br>**(क)** "व्यावसायिक कौशल" जीवनयापन संवर्धन परियोजनाएं<br>**(ख)** "व्यावसायिक कौशल"<br>**(ग)** 'पर्यावरणीय संतुलन' मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता का अनुरक्षण |

| | | |
|---|---|---|
| | उद्देश्य से किसी फसल के लिए स्वयं अपने अनुसंधान करना । जल प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रि किए जाने के साथ (व्यावहारिक प्रशिक्षण)<br><br>(घ) मृदा संरक्षण के दृष्टिकोण उत्पाद के जीवन चक्र का विश्लेषण | (घ) "प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण" तथा "मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता का अनुरक्षण" |
| **4.** | "ग्राहक संरक्षण सेवाओं" को सीएसआर के दायरे में लाना (डा.वी.जी. पटेल, उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंरधान केन्द्र के अध्यक्ष)<br>(i) उपभोक्ता शिकायतों के प्रभावी निपटान की व्यवस्था उपलब्ध करवाना<br>(ii) उपभोक्ता के स्वास्थ्य एवं संरक्षा का संरक्षण, वहनीय खपत, उपभोक्ता सेवा, सहयोग एवं शिकायत समाधान<br>(iii) उपभोक्ता संरक्षण क्रियाकलाप<br>(iv) उपभोक्ता अधिकारों की अनिवार्यता<br>(v) उपभोक्ता संरक्षण के सभी कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों का संरक्षण ग्रामीण विकास शिक्षा इत्यादि के अनुरूप किया जाना। | ग्राहक शिक्षा तथा जागरूकता को अनुसूची VII (ii) ''शिक्षा प्रोत्साहन'' में शामिल किया जा सकता है। |
| 5. | (क) भवनों के संरक्षण तथा कक्षाओं की मरम्मत के लिए आईआईएम (ए) को दिए जाने वाले दान से ''शिक्षा को प्रोत्साहन'' प्राप्त होगा जिससे यह ''शिक्षा को प्रोत्साहन'' के दायरे में आएगा तथा कम्पनियों द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के अनुपालन के योग्य होगा।<br>(ख) भवनों के संरक्षण तथा कक्षाओं की मरम्मत के लिए आईआईएमए को दिए जाने वाले दान से ''राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति सहित ऐतिहासिक महत्व के भवनों तथा स्थलों का पुनरूद्धार'' हो सकेगा तथा यह कम्पनियों द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के अनुपालन के योग्य होगा। | अनुसूची VII ''शिक्षा को प्रोत्साहन'' के अंतर्गत स्कूल भवनों के सरंक्षण एवं कक्षाओं की मरम्मत निगमित सामाजिक क्रियाकलापों से संबंधित है। |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | गैर अकादमिक टैक्नोपार्क टीबीआई अकादमिक संस्थान में स्थापित नहीं है परन्तु यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित एवं समर्थन प्राप्त है। | अनुसूची VII ''शिक्षा को प्रोत्साहन'' , यदि यह विभाग एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित है। |
| 7. | आपदा सहायता | आपदा सहायता में विविध प्रकार के ऐसे क्रियाकलाप शामिल किए जा सकते है जो अनुसूची VII में दी गई सूची में दर्शाई गई मदों के लगभग समरूप हैं। उदाहरण के लिए<br>(i) चिकित्सा सहायता को 'निवारक स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य सेवा' में शामिल किया जा सकता है।<br>(ii) खाद्य आपूर्ति को भूख, गरीबी एवं कुपोषण के निवारण के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।<br>(iii) स्वच्छ जल की आपूर्ति को 'स्वच्छता एवं संरक्षित पेय जल की उपलब्धि' में शामिल किया जा सकता है। |
| 8. | सड़क दुर्घटनाओं के मामले में राजमार्गों के आसपास 'अभिघात केन्द्र' | 'स्वास्थ्य सेवा' के अंतर्गत |
| 9. | 'ग्रामीण विकास परियोजनाओं' में स्पष्टता | भारत में ग्राम विकास से संबंधित कोई भी परियोजना इसमें शामिल है। |
| 10. | कम्पनियों द्वारा मिड डे भोजन जैसी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण के माध्यम अनुपूरक सहायता अनुसूची VII में शामिल किया जाना। | जी, हां। अनुसूची VII के अंतर्गत मद संख्या 'गरीबी एवं कुपोषण' के लिए |
| 11. | अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं शिक्षा | जी, हां। अनुसूची VII में परिभाषित मदों के संबंध में संबंधित क्षेत्रों के लिए। अन्यथा 'शिक्षा प्रोत्साहन के लिए |
| 12. | सरकारी अधिकारियों एवं चयनित प्रतिनिधियों का क्षमता संवर्धन - सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा शहरी अवसंरचना के दोनों क्षेत्रों में | जी, नहीं । |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | वहनीय शहरी विकास एवं शहरी जन परिवहन व्यवस्था | शामिल नहीं की गई है। |
| 14. | लोक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं तक पहुंच अथवा डिलीवरी में सुधार को 'निवारक स्वास्थ्य सेवा' अथवा 'सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा अनुभव की जा रही असमानता को कम करने के उपाय' के शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? | परिस्थिति की निर्भरता पर इन्हें 'निवारक स्वास्थ्य सेवा' अथवा 'सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा अनुभव की जा रही असमानता को कम करने के उपाय' के दोनों शीर्षों में शामिल किया जा सकता है |
| 15. | इसी प्रकार क्या झुग्गी झोपड़ी पुनर्विकास अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास भी 'सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा अनुभव की जा रही असमानता को कम करने के उपाय' में शामिल किए जा सकते हैं? | जी, हां। |
| 16. | अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं | 'पर्यावरण संधारण, पारिस्थिकीय संतुलन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण' के अंतर्गत |
| 17. | (i) क्या अनुसूची VII में उल्लिखित प्रयास सम्पूर्ण हैं?<br>(ii) यदि कोई कम्पनी अनुसूची VII में उल्लिखित लाभग्राहियों के लिए कोई ऐसी क्रिया करना चाहती है जिसका उल्लेख अनुसूची VII में नहीं है तो क्या ऐसी स्थिति में अंतिम नियमों के (2(ग)(ii) अंतर्गत इसकी गणना की जाएगी? | (i) तथा (ii) अनुसूची VII की व्याख्या मुक्त रूप से की जानी है ताकि अनुसूची में उल्लिखित विषयों के सार तत्व को इसमें शामिल किया जा सके। |
| 18. | अमेरिका-भारत फिजिशियन विनिमय कार्यक्रम - में भारत एवं अमेरिका के मध्य फिजिशियनों के व्यावसायिक विनिमय का उल्लेख किया गया है। | जी, नहीं। |

**********

ENCLOSURE-VI

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2014/श्रावण 16, 1936
No. 408] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2014/SHRAVANA 16, 1936

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2014

**सा.का.नि. 568(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. अनुसूची VII, में मद (x) के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

"(xi) स्लम क्षेत्र विकास

*स्पष्टीकरण* – इस मद के प्रयोजन के लिए, 'स्लम क्षेत्र' से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय विधि के अधीन इस प्रकार घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं.1/18/2013–सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** अनुसूची VII 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुई और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 130(अ) तारीख 27 फरवरी, 2014 तथा सा.का.नि. 261(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित (01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त) की गई।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2014

**G.S.R. 568(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule VII of the said Act, namely:-

(1) In Schedule VII, after item (x), the following item and entry shall be inserted, namely:-

"(xi) slum area development.

*Explanation.*— For the purposes of this item, the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force."

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/18/2013-CL-V]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

**Note.**—The Schedule VII was brought into force with effect from 1st April, 2014 and was amended (effective from 1st April, 2014) vide notification number GSR 130(E) dated 27th February, 2014 and Corrigenda number GSR 261(E) dated 31st March, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ENCLOSURE - VII

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2014/कार्तिक 2, 1936
No. 548] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2014/KARTIKA 2, 1936

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2014

**सा.का.नि. 741(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची 7 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(i) मद (i) में, "और स्वच्छता का संवर्धन" शब्दों के पश्चात्,"जिसके अंतर्गत स्वच्छता के सवंर्धन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान भी है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) मद (iv) में, "और जल की क्वालिटी बनाए रखना" शब्दों के पश्चात्,"जिसके अंतर्गत गंगा नदी के संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित गंगा सफाई कोष में अंशदान भी है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.1/18/2013–सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** अनुसूची 7, 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुई थी और उसमें अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 130 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2014 तथा सा.का.नि. 261(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के शुद्धिपत्र द्वारा और संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.568 (अ) तारीख 06 अगस्त, 2014 द्वारा भी संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2014

**G.S.R. 741(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments to Schedule VII of the said Act, namely:—

(i) In item (i), after the words "and sanitation", the words "including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation" shall be inserted;

(ii) In item (iv), after the words "and water", the words "including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga;" shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/18/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

**Note :** The Schedule VII was brought into force with effect from 1st April, 2014 and was amended(effective from 1st April, 2014) vide notification number GSR 130(E) dated 27th February, 2014 and Corrigenda number GSR 261(E) dated 31st March, 2014 and also vide amendment notification number GSR 568(E) dated 6th August, 2014.

P:53

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अनुलग्नक - VIII

संख्या 05/19/2015-सीएसआर

भारत सरकार

निगमित कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग

शास्त्री भवन, डा.रा.प्र.मार्ग,

नई दिल्ली - 110001

दिनांक 12 जनवरी, 2016

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निदेशक

कंपनी पंजीयक

सभी भागीदार

विषय : कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अंतर्गत निगमित सामाजिक दायित्व के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महोदय,

निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 18.6.2014 के सामान्य परिपत्र के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 , अधिनियम की अनुसूची VII तथा कम्पनी सीएसआर नियमावली,2014 में पात्र कम्पनियों से क्रियाकलाप का चयन करने एवं उसे सही अर्थों में कार्यान्वित करने सहित अपनी सीएसआर नीति के निर्माण की अपेक्षा की गई है। अधिनियम में उल्लिखित सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन करने के दौरान पात्र कम्पनियों के निदेशक मंडल को निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों का अनुमोदन प्रदान करने के साथ साथ सीएसआर नीति के निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। इस संबंध में मंत्रालय में अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों से संबंधित मामलों पर आगे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

2. मंत्रालय द्वारा इस संबंध में दिनांक 18 जून, 2014 तथा 17 सितम्बर, 2014 के सामान्य पत्र जारी किए गए थे। सीएसआर के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा उनके संबंध में मंत्रालय की प्रतिक्रिया निम्नानुसार प्रस्तुत है:

निगमित सामाजिक दायित्वों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

| क्र.सं. | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
|---|---|
| 1. | **क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर प्रावधान सभी कम्पनियों पर लागू हैं?** |
| | कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत सीएसआर प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा किसी पूर्व कम्पनी कानून के अंतर्गत प्रत्येक उस कम्पनी के लिए लागू हैं जिसका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान<br>• निवल सम्पति पांच हजार करोड़ रूपए अथवा अधिक हो; अथवा<br>• टर्नओवर एक हजार करोड़ रूपए अथवा अधिक हो ; अथवा<br>• सकल लाभ पांच करोड़ रूपए अथवा अधिक हो |
| 2. | **ऊपर उल्लिखित वित्तिय वर्ष से क्या अभिप्राय है?** |
| | "वित्तीय वर्ष" का अर्थ अधिनियम के खंड 135 के उप खंड (1) जो कम्पनी सीएसआर नियमावली, 2014 के नियम 3(2) के साथ पठनीय है, के अनुसार कोई भी पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष **(संदर्भ दिनांक 18.6.2014 का सामान्य परिपत्र सं. 21/2014)** |
| 3. | **क्या किसी कम्पनी के सीएसआर व्यय का दावा व्यवसाय व्यय के रूप में किया जा सकता है?** |
| | किसी कम्पनी द्वारा सीएसआर पर किए गए व्यय का दावा व्यवसाय व्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। वित्त अधिनियम, 2014 के अनुसार कर निर्धारिती द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित किए गए व्यय कर निर्धारिती द्वारा व्यापार अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से किए गए व्यय नहीं माने गए हैं। |
| 4. | **खंड 135(5) के अनुसार 'औसत निवल लाभ' मापदंड कर पूर्व सकल लाभ के लिए हैं अथवा कर पश्च सकल लाभ के लिए हैं?** |
| | खंड 135 के अनुसार सकल लाभ का आकलन कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 198 के अनुसार है जो कि मूलत: कर पूर्व लाभ पर है। |
| 5. | **क्या सीएसआर पर किए जाने वाले व्यय अनुसूची VII के अलावा अन्य क्रियाकलापों के लिए किए जा सकते हैं?** |
| | निगमित कार्य मंत्रालय के **दिनांक 18 जून, 2014 का सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014** में यह स्पष्ट किया गया है कि सीएसआर नियमावली, 2014 के प्रावधान सीएसआर नीति के अनुसरण में किए जाने वाले क्रियाकलापों के सुनिश्चय के लिए हैं जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में से होने अनिवार्य हैं। अनुसूची VII में की गई प्रविष्टियों की व्याख्या मुक्त भाव उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के तत्व को ग्रहण करते हुए की जानी चाहिए। अनुसूची VII में सूचीबद्ध मदें व्यापकता पर आधारित हैं तथा इन्हें क्रियाकलापों की वृहद श्रेणियों को शामिल करने की मंशा से तैयार किया गया है। सामान्य परिपत्र में उन क्रियाकलापों का वर्णन भी किया गया है जिन्हें सीएसआर के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य अनेक क्रियाएं शामिल की जा सकती हैं। इस संबंध में पहल कम्पनी के निदेशक मंडल पर निर्भर है। |
| 6. | **सीएसआर के अंतर्गत कौन से कर लाभ उपलब्ध हैं?** |

| | |
|---|---|
| | **सीएसआर व्यय के लिए कोई विशिष्ट कर लाभ विस्तारित नहीं किए गए हैं। वित्त अधिनियम, 2014 में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि सीएसआर पर किया गया व्यय व्यवसाय व्यय का भाग नहीं है। जहां एक ओर सीएसआर पर किए गए व्यय के लिए कोई विशेष छूट विस्तारित नहीं की गई है वहीं कुछ एक क्रियाकलापों जैसे प्रधान मंत्री राहत कोष, विज्ञान अनुसंधान, ग्रामीण विकास परियोजनाएं, कौशल विकास परियोजनाएं, कृषि विस्तार परियोजनाएं इत्यादि, जो अनुसूची VII में शामिल हैं, में अंशदान करने से आयकर अधिनियम, 1961 के विभिन्न खंडों के अंतर्गत पहले से ही उपलब्ध हैं।** |
| **7.** | **कौन से क्रियाकलाप सीएसआर के दायरे में नहीं आते हैं?** |
| | • ऐसी सीएसआर परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम अथवा क्रियाकलाप जिनसे केवल कम्पनी के कर्म चारियों तथा उनके परिवार को लाभ प्राप्त हो।<br>• मैराथन/अवार्ड/ चैरीटेबल अंशन/विज्ञान/ टेलीविजन कार्यक्रमों इत्यादि के लिए प्रायोजन जैसे वन-ऑफ कार्यक्रम<br>• कम्पनी द्वारा किसी अधिनियम/ विधान के विनियम (जैसे श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013, अप्रैंटिस अधिनियम, 1961 इत्यादि) के प्रावधानों की पूर्ति के लिए कम्पनी द्वारा किया गया व्यय<br>• किसी राजनैतिक पार्टी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी राशि का अंशदान<br>• कम्पनी द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय व्यवहार में किए गए क्रियाकलाप<br>• भारत से बाहर किए गए कार्यक्रम अथवा क्रियाकलाप |
| 8. | **क्या कम्पनी द्वारा धारित अथवा सहायक कम्पनी, जो खंड 135(1) के मानदंडों को पूरा करती है, को भी खंड 135 का अनुपालन तब भी करना होगा जब उसकी धारक कम्पनी इन मानदंडों पर पूरा न उतरती हो।** |
| | किसी कम्पनी की धारित अथवा सहायक कम्पनी द्वारा खड 135(1) का अनुपालन तभी किया जाना है जब उसकी धारक कम्पनी स्वयं मानदंडों को पूरा करती हो। |
| **9.** | **क्या सीएसआर के प्रावधान खंड 8 की कम्पनी पर लागू होते हैं, यदि वह अधिनियम के खंड 135(1) के मानदंडों पर पूरा उतरती हो।** |
| | अधिनियम के खंड 135 में ''प्रत्येक कम्पनी....'' का उल्लेख है तथा खंड 8 की कम्पनियों को खंड 135 की उपयोज्यता के प्रति कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की गई है, इस प्रकार, खंड 8 की कम्पनियों को सीएसआर के प्रावधानों का अनुपालन करना है। |
| **10.** | **क्या किसी कम्पनी द्वारा किसी ट्रस्ट/सोसायटी/खंड 8 में किया गया धन का अंशदान कम्पनी का सीएसआर व्यय माना गया है?** |
| | निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 18 जून, 2014 के सामान्य परिपत्र संख्या 21/2015 में यह उल्लेख है कि<br>किसी ट्रस्ट/सोसायटी/खंड 8 कम्पनियों इत्यादि के संयुक्त कोष में किया गया अंशदान उस स्थिति में सीएसआर अंशदान माना जा सकता है जब :<br>(क): ट्रस्ट/सोसायटी/खंड 8 कम्पनियों इत्यादि का निर्माण केवल सीएसआर क्रियाकलापों के निर्वाह के लिए किया गया हो अथवा<br>(ख) जब संयुक्त कोष का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से अधिनियम की अनुसूची VII मे दिए गए विषयों से जुड़े विषयों के उद्देश्य से किया गया हो। |

| | |
|---|---|
| **11.** | **क्या कम्पनी की सीएसआर नीति को कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है अथवा नहीं ?** |
| | खंड 135(4) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर कम्पनी के लिए सीएसआर नीति का अनुमोदन करना तथा ऐसी नीति के संक्षेप सार का प्रकटन अपनी रिपोर्ट में करना तथा उसे कम्पनी की वेबसाइट,यदि कोई हो, पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है **(संदर्भ सीएसआर नीति का नियम 8 तथा 9, नियमावली, 2014)** |
| **12.** | **क्या निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सीएसआर की रिपोर्टिंग अनिवार्य है?** |
| | 1 अप्रैल, 2014 को अथवा उसके पश्चात से किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित खंड 135(1) के अंतर्गत कम्पनी के निदेशक मंडल की योग्य रिपोर्ट में अनुबंध में दिए गए विवरण के अनुसार सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट भी शामिल की जानी है **(संदर्भ सीएसआर नीति का नियम 9, नियमावली,2014)** |
| **13.** | **क्या किसी विदेशी कम्पनी के लिए सीएसआर क्रियाकलापों की रिपोर्ट दी जानी अनिवार्य है?** |
| | विदेशी कम्पनी के मामले में खंड 381 के उप खंड (1) के उप वाक्य (ख) के अंतर्गत तुलन पत्र फाइल किए जाने की स्थिति में सीएसआर की रिपोर्ट का अनुलग्नक लगाया जाना है। |
| **14.** | **क्या आपदा सहायता के लिए किया गया अंशदान सीएसआर के अंतर्गत आता है अथवा नहीं** ? |
| | (कृपया निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 18.6.2014 के सामान्य परिपत्र के अनुबंध की मद संख्या 7 से संदर्भ प्राप्त करें) |
| **15.** | **क्या सीएसआर व्यय के लिए किए गए किसी अंशदान का मौद्रिकरण किया जा सकता है**? |
| | खंड 135 में यह उल्लेख है कि **"...**कम्पनी द्वारा किए गए किसी व्यय का सुनिश्चय कम्पनी को करना है**"** । कम्पनी को ऐसी राशि का व्यय करना ही होगा। |
| 16. | **यदि कोई कम्पनी अपने तीन पूर्ववर्ती वर्षों के औसत सकल लाभ से किसी वर्ष के दौरान 2% से अधिक राशि का व्यय सीएसआर पर करती है तो क्या अधिक व्यय की गई राशि को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जा सकता है तथा अगले वर्ष के लिए अपेक्षित 2% के सीएसआर व्यय के लिए उसे समायोजित किया जा सकता है**? |
| | अधिक व्यय की गई कोई भी राशि(अर्थात खंड 135 में निर्दिष्ट 2**%** राशि से अधिक) को अनुवर्ती वर्षों के लिए अग्रेषित तथा अगले वर्ष के सीएसआर व्ययों में समायोजित नहीं किया जा सकता है। |
| 17. | **क्या न्यूनतम अपेक्षित व्यय न की गई सीएसआर राशि को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जा सकता है**? |
| | निदेशक मंडल इस संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि क्या सीएसआर व्यय के लिए अपेक्षित न्यूनतम व्यय को अगले वर्ष अग्रेषित किया जाना है अथवा नहीं। तथापि**,** अग्रेषित की जाने वाली राशि कम्पनी के निकटतम पिछले तीन पूर्ववर्ती लाभ के अनुसार अगले वर्ष के कम्पनी के औसत सकल लाभ पर 2**%** के समतुल्य सीएसआर निर्धारण के अलावा होनी चाहिए। |
| 18. | **कम्पनी अधिनियम**, 2013 **के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले सीएसआर कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सरकारी द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है**? |

| | |
|---|---|
| | कानून का मुख्य सार तथा भाव निगरानी करना नहीं है अपितु ऐसे सहायक वातावरण का निर्माण करना है जिसमें निगमित कम्पनियां देश के मानव विकास के लक्ष्यों में अपना योगदान देते हुए स्वयं सामाजिक तौर पर उत्तरदायी व्यवहार करें।<br><br>विद्यमान विधिक प्रावधान जैसे अनिवार्य प्रकटन, सीएसआर समिति की जवाबदेही तथा निदेशक मंडल, कम्पनी के लेखों का लेखा परीक्षण इत्यादि इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। कम्पनियों द्वारा अपने सीएसआर दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले कार्यों में सरकार कोई भूमिका नहीं निभाती है। |
| 19. | **क्या सरकार द्वारा सीएसआर व्ययों की गुणवत्ता एवं प्रभावोत्पादकता की निगरानी एवं कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले सीएसआर व्ययों के प्रभाव मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्षकारों की कोई व्यवस्था की जानी प्रस्तावित की गई है**? |
| | कम्पनियों के सीएसआर व्ययों की गुणवत्ता तथा प्रभावोत्पादकता की निगरानी के लिए सरकार द्वारा बाह्य विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने में कोई भूमिका नहीं निभाई गई है। निदेशक मंडल / सीएसआर समितियां कानून में किए गए सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन की वैधता के लिए अपने सीएसआर कार्यक्रम का प्रभाव मूल्यांकन तृतीय पक्षकारों से करवाने के लिए स्वतंत्र हैं। |
| 20. | **क्या सीएसआर निधियों का उपयोग सरकारी योजना में निधियन के लिए किया जा सकता है**? |
| | इसके प्रावधान का उद्देश्य कम्पनियों से अपने उन्नत विचारों तथा प्रबंधन कौशल सहित उच्च कार्यकुशलता एवं बेहतर प्रतिफल के साथ सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में भागीदार बनाना है, तदनुसार, सीएसआर की व्याख्या सरकारी योजनाओं के संसाधनों के अंतर को भरने के वित्तीय स्रोत के रूप में नहीं की जानी चाहिए। कम्पनियों द्वारा किया जाने वाला सीएसआर कार्यान्वयन जनहित में निगमित नवोपायों तथा प्रबंधन कौशल के उपयोग का सार तत्व है। सैद्धांतिक तौर पर कम्पनियों की सीएसआर निधि का उपयोग सरकारी योजनाओं के निधियन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सीएसआर परियोजनाओं से होने वाले प्रभाव सरकारी योजनाओं के प्रभावों की तुलना में ज्यादा गुणक होने चाहिए। |
| 21. | **कम्पनी के सीएसआर कार्यक्रमों / परियोजनाओं के अनुमोदन तथा कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है**? **सरकार की इस संबंध में भूमिका क्या है**? |
| | सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अधिनियम का खंड 135, अनुसूची **VII** तथा निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18.6.2014 के सामान्य पत्र के साथ पठनीय कम्पनी सीएसआर नीति नियमावली, **2014** में उस रूपरेखा का वर्णन किया गया है जिसके दायरे में प्रत्येक पात्र कम्पनी से सीएसआर नीतियों के निर्धारण की अपेक्षा की गई है जिसमें किए जाने वाले क्रियाकलाप तथा उन्हें सही अर्थों में कार्यान्वित किए जाने का भी विवरण है। तदनुसार सभी सीएसआर कार्यक्रम / परियोजनाएं सीएसआर समितियों की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। कार्यक्रम / परियोजना में किया जाने वाला किसी प्रकार का बदलाव, यदि कोई हो, भी केवल समिति / निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही किया जाना चाहिए। |
| 22. | **कम्पनियां किस प्रकार अपनी छोटी सीएसआर निधियों का उपयोग सीएसआर क्रियाकलापों के लिए परियोजना / कार्यक्रम स्वरूप में कर सकती हैं**? |
| | किसी भली भांति निर्मित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रम का प्रबंधन छोटी |

| | |
|---|---|
| | निधि से भी किया जा सकता है। इसके अलावा, सीएसआर नीति नियमावली, **2014** के प्रावधान के अनुसार कम्पनियां अन्य समान कम्पनियों के साथ सीएसआर कार्यक्रम अपने सीएसआर संसाधनों के एकत्रण के माध्यम से मिलकर एक साथ कर सकती हैं। **(संदर्भ कम्पनी (सीएसआर नीति) नियमावली**, 2014) |
| **23.** | **क्या कम्पनी के कर्मचारियों की सीएसआर परियोजनाओं/ कार्यक्रमों में प्रतिभागिता का मौद्रिकरण किया जा सकता है तथा क्या उसे ''सीएसआर व्यय'' के अंतगर्त प्रभारित किया जा सकता है**? |
| | इसमें संदेह नहीं कि सीएसआर क्रियाकलापों में कम्पनी के कर्मचारियों के योगदान तथा प्रतिभागिता से सीएसआर कार्यो के प्रति रूचि/गर्व की उत्पति होगी तथा इससे निगमित सामाजिक दायित्व को अनुग्रह के स्थान पर क्रियाकलापों के प्रत्येक घटक में समाज के प्रति कम्पनियों के दायित्व स्थापित हो सकेंगे। कम्पनियों को तदनुसार अपने कर्मचारियों को सीएसआर क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। **तथापि कर्मचारियों की इस प्रकार की प्रो बोनो सेवाओं को सीएसआर व्यय में शामिल नहीं किया जा सकता है।** |

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(सीमा रथ)

उप निदेशक - (सीएसआर कक्ष)

प्रतिलिपि:

1. ई-शासन कक्ष तथा वेब सामग्री अधिकारी को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित

अनुलग्नक - IX

सामान्य परिपत्र संख्या: 05/2016

संख्या 05/1/2014-सीएसआर

भारत सरकार

निगमित कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग

शास्त्री भवन, डा.रा.प्र.मार्ग,

नई दिल्ली - 110001

दिनांक 16 मई, 2016

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निदेशक

कंपनी पंजीयक

सभी भागीदार

विषय : कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अंतर्गत निगिमत सामाजिक दायित्वों के प्रावधानों से संबंधित स्पष्टीकरण ।

इस मंत्रालय के दिनांक 12.1.2016 के सामान्य परिपत्र 201 के 01 अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के दौरान कम्पनियों द्वारा देश में लागू सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए),2003 सहित किसी भी अन्य कानून की अहवेलना नहीं किया जाएगा।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(सीमा रथ)

उप निदेशक - (सीएसआर कक्ष)

प्रतिलिपि:

1. ई-शासन कक्ष तथा वेब सामग्री अधिकारी को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित
2. गार्ड फाइल

ENCLOSURE-X

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2016/ ज्येष्ठ 2, 1938
No. 365] NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2016/JYAISTHA 2, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख 23 मई, 2016

**सा.का.नि. 540(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 8) की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 4 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(2) कंपनी बोर्ड, सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित इसके सीएसआर क्रियाकलापों के वचनबंध के लिए निर्णय कर सकेगा,--

(क) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, कंपनी द्वारा स्थापित या तो एकल या किसी अन्य कंपनी के साथ माध्यम कर सकेगा, या

(ख) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संसद् या राज्य विधान-मंडल के अधीन स्थापित किसी अस्तित्व के माध्यम से कर सकेगा :

परंतु यह कि यदि, कंपनी बोर्ड अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी के माध्यम से इसके सीएसआर क्रियाकलापों को वचनबंध के लिए निर्णय करता है या रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी इस उपनियम में विनिर्दिष्ट से ऐसी भिन्न कंपनी के वचनबंध एक समान

कार्यक्रम या परियोजना के वचनबंध में तीन वर्ष के पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड को स्थापित करेगी और कंपनी वचनबंध किए जाने वाली परियोजनाएं या कार्यक्रमों, ऐसी परियोजनाएं और कार्यक्रम की उपयोगिता की प्रकारताओं एवं मॉनीटर और रिपोर्ट करने वाले यंत्र को विनिर्दिष्ट किया है"।

[फा. सं. 05/12/2016-सीएसआर-सेल]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव।

**टिप्पण** : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 129(अ) तारीख 27 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ) तारीख 12 सितंबर, 2014 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 43(अ) तारीख 19 जनवरी, 2015 में संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd May, 2016

**G.S.R. 540(E).**—In exercise of the powers conferred under section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, in rule 4, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The Board of a company may decide to undertake its CSR activities approved by the CSR Committee, through

(a) a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the company, either singly or alongwith any other company, or

(b) a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the Central Government or State Government or any entity established under an Act of Parliament or a State legislature :

Provided that- if, the Board of a company decides to undertake its CSR activities through a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, other than those specified in this sub-rule, such company or trust or society shall have an established track record of three years in undertaking similar programs or projects; and the company has specified the projects or programs to be undertaken, the modalities of utilisation of funds of such projects and programs and the monitoring and reporting mechanism".

[F. No. 05/12/2016-CSR-Cell]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Joint Secy.

**Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide number G.S.R. 129(E),* dated the 27th February, 2014 and were subsequently amended by notification number G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014 and notification number G.S.R. 43(E), dated the 19th January, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.